[2019] 5 एस सी आर 240

लहरी सखामुरी

वी.

सोभन कोडाली

(सिविल अपील सं। 3135-3136 2019 का)

15 मार्च, 2019

[ए. एम. खानविलकर और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

पारिवारिक कानूनः

बाल अभिरक्षा-अमेरिका द्वारा अमेरिकी आदेश में पत्नी/मां द्वारा दायर तलाक और नाबालिग बच्चों (अमेरिकी नागरिकों) की अभिरक्षा के लिए याचिका

अदालत ने पति/पिता को सुलह के लिए उपस्थित होने और बच्चों का निवास न बदलने का निर्देश दिया-इस बीच, परिवार की तात्कालिकता के कारण पत्नी/मां जब भारत आई, तो याचिका दायर की।

बच्चों की अभिरक्षा की मांग करने वाली पारिवारिक अदालत-परिवार अदालत ने पति/पिता को नाबालिग बच्चों को ले जाने से रोकने के लिए एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया-पति/द्वारा आपातकालीन याचिका

अमेरिकी अदालत के समक्ष पिता-अमेरिकी अदालत ने हिरासत के मामले पर अधिकार क्षेत्र जारी रखने का आदेश पारित किया और बच्चों को वापस करने के निर्देश के साथ पत्नी/मां को अस्थायी हिरासत प्रदान की। अमेरिकी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र-पारिवारिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताते हुए पति/पिता का आवेदन खारिज कर दिया गया-उच्च न्यायालय में अपील-पति/पिता ने भी नाबालिग बच्चों को पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की-उच्च न्यायालय ने अपील और रिट याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि परिवार न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है और यह बच्चों के अमेरिका लौटने के हित में है-अपील पर कहा गयाः मामले के तथ्यों में, उच्च न्यायालय ने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के लिए आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया

परिवार न्यायालय के समक्ष यह अभिनिर्धारित करते हुए कि बच्चे भारत के सामान्य निवासी नहीं थे-पूरे मामले पर समग्र रूप से विचार करते हुए, सभी मानदंड जैसे कि न्यायालयों की समिति, बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले विदेशी न्यायालय के आदेश,

जीवनसाथी और बच्चों की नागरिकता, अंतरंग संबंध और कल्याण और नाबालिग बच्चों का सर्वोत्तम हित पति/पिता के पक्ष में है-पत्नी/मां को बच्चों के साथ अमेरिका लौटने का निर्देश-विदेशी न्यायालय-न्यायालय की समिति।

240 लाहरी सखामुरी बनाम। सोभन कोडाली

बाल अभिरक्षा-न्यायालय को अभिरक्षा प्रदान करते समय बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि विचार के रूप में ध्यान में रखना होता है।

नाबालिग बच्चे-कल्याण का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण कारक बच्चे ऐसे होते हैं जैसे परिपक्वता और निर्णय; मानसिक स्थिरता;

विद्यालय तक पहुँच प्रदान करने की क्षमता; नैतिक चरित्र; करने की क्षमता

समुदाय में निरंतर भागीदारी प्रदान करना; वित्तीय पर्याप्तता; एक व्यक्ति के रूप में माता-पिता की विशेषता के विपरीत बच्चे के साथ संबंध से जुड़े कारक।

अभिरक्षा विवाद-बातचीत से समाधान-न्यायिक समाधान की तुलना में वरीयता-आयोजितः बातचीत से समाधान बेहतर है

बच्चे का दृष्टिकोण।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. अपीलार्थी ने अमेरिकी अदालत में नाबालिग बच्चों के तलाक और हिरासत के लिए आवेदन दायर किया था और अमेरिकी अदालत द्वारा आदेश पारित किया गया था। उस अंतरिम आदेश के बावजूद, अपीलार्थी भारत आई और भारत में अपने आगमन के 20 दिनों के भीतर, भारत के परिवार न्यायालय में नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें भारत में दायर अभिरक्षा के लिए अपने आवेदन को छिपाया गया।

अमेरिकी अदालत। उसने यह भी खुलासा नहीं किया कि एक आदेश आया था उसके खिलाफ अमेरिकी अदालत द्वारा पारित किया गया। दिए गए तथ्यों में और

परिस्थितियों, उच्च न्यायालय की राय है कि नाबालिग

भारत में परिवार न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय। साथ ही, जब अमेरिकी न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए हैं, तो पक्षकार पहले शुरू की गई कार्यवाही की अवहेलना नहीं कर सकते हैं।

अमेरिकी न्यायालय ने अपीलार्थी के कहने पर दायर किया जो है

2.1 बाल अधिकार सीमित हो सकते हैं लेकिन उन्हें नजरअंदाज या समाप्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चे वास्तव में ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें सभी मौलिक अधिकारों की गारंटी उन्हें ध्यान में रखते हुए दी जाती है

बच्चे का सर्वोत्तम हित और विभिन्न अन्य कारक जो यह निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि किस संदर्भ में निर्णय लिया गया है।

माता-पिता की स्वायत्तता पर ध्यान दिया जाता है जिसे अदालतें आसानी से खारिज नहीं करती हैं। [पैरा 50] [276-बी] [2019] 5 एस. सी. आर.

2.2 यह सच है कि इस न्यायालय को सर्वोपरि विचार के रूप में बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखना होगा। द. अमेरिकी न्यायालय की टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अमेरिकी न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में बच्चों के कल्याण के सिद्धांत पर विचार किया गया है क्योंकि यह दोहराता है कि दोनों पक्ष बच्चों के उचित पालन-पोषण और अंतिम निर्णय के लिए आवश्यक हैं।

दो नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा और संरक्षकता का निर्णय अमेरिका द्वारा लिया जाएगा, जिसके पास निर्णय लेने का विशेष अधिकार क्षेत्र है क्योंकि बच्चे अमेरिकी नागरिक थे और प्रतिवादी के आपातकाल पर आगे का आदेश पारित किया गया था।

9 मार्च, 2018 को हिरासत में विशेष रिहाई के साथ याचिका जिसमें प्रतिवादी को नाबालिग बच्चों की ओर से अमेरिकी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है, अपीलकर्ता की मां की सहमति के बिना। अपीलार्थी अपने ऊपर शुरू की गई कार्यवाही की अवहेलना नहीं कर सकती है। अमेरिकी न्यायालय के समक्ष उदाहरण और उसे अपने कारण का समर्थन करने के लिए अपनी पसंद के वकीलों को शामिल करके उन कार्यवाही में भाग लेना चाहिए। [पैरा 48] [275-डी-एफ]

2.3 माता-पिता के लिए समान रूप से बच्चों के कल्याण का आकलन करने के लिए अदालतों द्वारा जिन महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ चित्रित किया जा सकता है, जैसे कि (1) परिपक्वता और निर्णय; (2) मानसिक स्थिरता; (3) स्कूलों तक पहुंच प्रदान करने की क्षमता; (4) नैतिक चरित्र; (5) समुदाय में निरंतर भागीदारी प्रदान करने की क्षमता; (6) वित्तीय पर्याप्तता और अंतिम लेकिन कम से कम बच्चे के साथ संबंध से जुड़े कारक, जो एक व्यक्ति के रूप में माता-पिता की विशेषताओं के विपरीत हैं। [पैरा 49] [285-जी]

2.4 अभिव्यक्ति "बच्चे का सर्वोत्तम हित" जिसे हमेशा सर्वोपरि माना जाता है, वास्तव में इसमें व्यापक है।

अर्थ और यह प्राथमिक देखभाल देने वाले का प्यार और देखभाल नहीं रह सकता है, यानी शिशु या बच्चे के मामले में माँ जो केवल कुछ साल का है। किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (9) में "बच्चे के सर्वोत्तम हित" की परिभाषा की परिकल्पना की गई है, जिसका अर्थ है "बच्चे के संबंध में लिए गए किसी भी निर्णय का आधार, उसके बुनियादी अधिकारों और जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करना, सामाजिक कल्याण और शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास की पहचान करना"। [पैरा 43] [273-डी-ई] लाहरी सखामुरी बनाम।

सोभन कोडाली

2.5 यह विवाद में नहीं है कि दोनों नाबालिग बच्चे, अपने जन्म की शुरुआत से ही, अमेरिका से हटाए जाने तक थे।

अमेरिका में अपने माता-पिता के साथ रहते हैं। इस तथ्य को अपीलार्थी ने भारत में परिवार न्यायालय के समक्ष दायर संरक्षकता याचिका और तलाक और अभिरक्षा याचिका में भी स्वीकार किया था। अमेरिका में उनके द्वारा और केवल पक्षों के वकील को सुनने के बाद, अमेरिकी अदालत द्वारा 22 मई, 2017 को आपातकाल पर आदेश पारित किया गया था

अपीलार्थी को साथ लौटने के लिए आगे के निर्देश के साथ बच्चों की अस्थायी शारीरिक अभिरक्षा प्रदान करने वाली अभिरक्षा याचिका 2 जून, 2017 को अमेरिकी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बच्चों के साथ। यदि वह 22 मई, 2017 के आदेश से व्यथित थी

सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अमेरिकी अदालत द्वारा पारित किया गया, जिसे उन्होंने अपने वकील के माध्यम से लड़ा, अदालत के आदेश पर हमला करने के लिए उनके पास सभी पाठ्यक्रम उपलब्ध थे। चूंकि अपीलकर्ता 22 मई, 2017 के आदेश के बावजूद बच्चों को अमेरिकी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वापस करने में विफल रहा, इसलिए प्रत्यर्थी के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने और प्रार्थना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था कि बच्चों को अमेरिकी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अमेरिका वापस भेजा जाए। [पैरा 47] [274-जी-एच; 275-ए-सी]

2.6 बच्चों का सर्वोत्तम हित सर्वोपरि है

यदि वे अमेरिका लौटते हैं और दादा-दादी सहित अपने माता-पिता के प्यार, देखभाल और ध्यान के साथ अपने प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते हैं और अपने स्कूल को फिर से शुरू करने और अपने शिक्षकों और साथियों के साथ रहने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। [पैरा 56] [277-एफ-जी]

2.7 न्यायालयों की सामूहिकता के सिद्धांत, अंतरंग संबंध, मामले में अधिकार क्षेत्र रखने वाले विदेशी न्यायालयों द्वारा पारित आदेश

नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा, माता-पिता और बच्चे की नागरिकता आदि के संबंध में, बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण के विचार पर हावी नहीं हो सकता है और बच्चे को विदेशी क्षेत्राधिकार में वापस करने के निर्देश के परिणामस्वरूप बच्चे को कोई शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक या अन्य नुकसान नहीं होना चाहिए। एक समग्र लेना पूरे मामले पर विचार करते हुए, न्यायालय संतुष्ट है कि अदालतों की समिति, बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले विदेशी न्यायालय के आदेश, पति या पत्नी और बच्चों की नागरिकता, अंतरंग संबंध, और सबसे बढ़कर, नाबालिग बच्चों के कल्याण और सर्वोत्तम हित जैसे सभी मानदंड [2019] 5 एस. सी. आर.

प्रत्यर्थी के पक्ष में और उस पर उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में विस्तार से विचार किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 51] [276-सी-ई]

3. अभिरक्षा विवाद का न्यायिक समाधान

पक्षकारों के कानूनी संबंधों को स्थायी रूप से प्रभावित करता है या समाप्त भी करता है लेकिन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संबंध आमतौर पर जारी रहेंगे और यह उचित लगता है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत से समाधान हो।

माता-पिता कई कारणों से बच्चे के दृष्टिकोण से बेहतर हैं। अपने माता-पिता में से प्रत्येक के साथ एक बच्चे के भविष्य के संबंध को बेहतर तरीके से बनाए रखा जा सकता है और उसके मौजूदा संबंध को अदालत द्वारा प्रतिकूल कार्यवाही के बाद लगाए गए समझौते की तुलना में बातचीत से कम नुकसान होता है। वर्तमान मामले में, इस बात की पूरी संभावना है कि पक्ष सुलह कर सकते हैं और अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, कम से कम बिना किसी अन्य कारण के अपनी खुशी के लिए। पार्टियाँ वास्तव में परिपक्व और समझदार हैं जो यह समझने के लिए पर्याप्त हैं कि वैवाहिक जीवन के सामान्य पतन को व्यापक स्तर पर रखा जाना चाहिए।

उनकी अपनी खुशी और उनकी संतानों के स्वस्थ, सामान्य विकास और विकास के हित, जिन्हें भाग्य ने उनके संयुक्त माता-पिता की देखभाल के लिए सौंपा है। पति-पत्नी को आवेगपूर्ण इच्छाओं और जुनून के साथ इसे बढ़ाने के बजाय स्वभावगत वैमनस्य पर काबू पाना चाहिए जो आमतौर पर हर शादी में मौजूद होता है। माता-पिता न केवल देखभाल करने वाले होते हैं, बल्कि वे अपने बच्चे के सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक कल्याण के विकास में सहायक होते हैं और अपने बच्चों को देने के लिए सामंजस्यपूर्ण रूप से काम करते हैं।

एक खुशहाल घर जिसके वे न्यायसंगत हकदार हैं। [पैरा 54,55] [277-बी-ई]

4. अपीलार्थी को छह सप्ताह की अवधि के भीतर दोनों बच्चों के साथ अमेरिका लौटने का निर्देश दिया जाता है। आगे उत्तरदाता है

बच्चों के साथ-साथ उसके साथी, यदि कोई हो, अपने घर में या यदि वह किसी व्यक्तिगत कारण से रहने के लिए तैयार नहीं है, तो सभी उचित समय पर अपनी पसंद के स्थान पर ठहरने की व्यवस्था

लागत। यदि अपीलार्थी रिपोर्ट करती है कि वह नाबालिग बच्चों के साथ अमेरिका की यात्रा करने के लिए इच्छुक नहीं है, या कोई लाहरी सखामुरी बनाम नहीं दिखाती है।

सोभन कोडाली

बच्चों के साथ जाने के लिए, प्रतिवादी रुपये की राशि जमा करेगा। 15 अपीलार्थी के बैंक खाते में लाखों रुपये और जमा का प्रमाण उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में रखा जाएगा, जो इसके बाद हैदराबाद में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास से नाबालिग बच्चों को उनके पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों के साथ हिरासत में लेने के लिए कहेगा। अपीलार्थी और उसे नाबालिग बच्चों को अमेरिका ले जाने के लिए हिरासत में लेने की शर्त के साथ प्रत्यर्थी को सौंप दें और अमेरिकी न्यायालय द्वारा लंबित कार्यवाही में आगे के आदेश पारित होने तक अमेरिका में क्षेत्राधिकार न्यायालय को सौंप दें। अपीलार्थी प्रत्यर्थी द्वारा अपनी अमेरिका यात्रा के संबंध में जमा किए गए धन का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगी, यदि

इस प्रकार वांछित, भविष्य में और प्रत्यर्थी उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाएगा जिसका परिणाम किसी भी तरह से हो सकता है प्रतिकूल परिणाम। [पैरा 57] [277-जी-एच; 278-ए-डी]

निथ्या आनंद राघवन बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और एक और (2017) 8 एससीसी 454: [2017] 7 एससीआर 281; सूर्य

वडानन बनाम। तमिलनाडु राज्य और अन्य (2015) 5

एस. सी. सी. 450 [2015] 4 एस. सी. आर. 903; जसमीत कौर बनाम नवतेज

सिंह (2018) 4 एस. सी. सी. 295; सुरिंदर कौर संधू बनाम। हरबक्स सिंह संधू और अन्र। (1984) 3 एससीसी 698:

[1984] 3 एस. सी. आर. 422; एलिजाबेथ दिनशॉ बनाम। अरवांद एम.

दिनशॉ एंड अदर (1987) 1 एस. सी. सी. 42; वी. रवि

चंद्रन (डॉ.) बनाम। भारत संघ और अन्य (2010) 1

एससीसी 174: [2009] 15 एस. सी. आर. 960-पर निर्भर।

धनवंती जोशी बनाम। माधव उंडे (1998) 1 एस. सी. सी. 112:

[1997] 5 पूरक। एस. सी. आर. 30; कनिका गोयल बनाम। दिल्ली राज्य

स्टेशन हाउस ऑफिसर और एक अन्य (2018) 9 के माध्यम से

एस. सी. सी. 578 संदर्भित है।

एल (नाबालिग) इन रे (1974) 1 ऑल ईआर 913 (सीए); मैककी बनाम। मैकी (1951) एसी 352 का उल्लेख किया गया है।

मामला

कानून संदर्भ

[2017] 7 एससीआर 281

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

[2015] 4 एससीआर 903

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

(2018) 4 एससीसी 295

उस पर भरोसा करें

पैरा

22 [2019] 5 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1984] 3 एससीआर 422

उस पर भरोसा करें

पै

रा 23

(1987) 1 एस. सी. सी 42

उस पर भरोसा करें

पै

रा 23

[2009] 15 एससीआर 960

उस पर भरोसा करें

पै

रा 23

[1997] 5 पूरक। एस. सी. आर. 30 संदर्भित

पै

रा 36

(2018) 9 एस. सी. सी. 578

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

नागरिक/आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः सिविल अपील

2019 का Nos.3135-3136

तेलंगाना राज्य और तेलंगाना राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 08.02.2018 से

एफ. सी. ए. संख्या में आंध्र प्रदेश। 372 और 2017 का 373

के साथ

2019 की आपराधिक अपील संख्या 500।

सुश्री मालविका राजकोटिया, सुश्री आकृति त्यागी, सुश्री राइटिम वोहरा, सुश्री अर्पिता राय, सुश्री आशना तलवार, मयंक ग्रोवर, सुश्री तृषा गुप्ता, सुश्री उदिता सिंह, विवेक सिंह, लक्ष्मी रमन सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री एम. अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रभजीत जौहर, सुश्री शीतल कोचर, ए. ईश्वर रोजमेरी राजू, एस. एस. जौहर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रास्टोगी, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. हालाँकि दोनों अपीलें तेलंगाना राज्य और तेलंगाना राज्य के लिए हैदराबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दो अलग-अलग आदेशों से उत्पन्न होती हैं।

आंध्र प्रदेश ने 8 फरवरी 2018 को प्रत्यर्थी (सोभन कोडाली) और अपीलकर्ता (लहरी सखामुरी) द्वारा अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 के तहत दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मुख्य रूप से दो नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के लिए, जो 14 मार्च, 2012 और 13 अक्टूबर, 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए थे और अमेरिकी नागरिक हैं और जिनके पास अमेरिकी पासपोर्ट हैं। 2004 से 2005 तक अमेरिका में रह रहे बच्चों के माता-पिता के बीच बच्चों की कस्टडी के लिए झगड़ा चल रहा था। उनकी शादी 14 मार्च 2008 को हैदराबाद में हुई थी और दोनों ग्रीन कार्ड धारक हैं और न केवल उच्च शिक्षित हैं बल्कि अच्छी स्थिति में हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अंतर सामने आए जो एक लहरी सखामुरी बनाम हो सकते हैं।

सोभन कोडाली [रस्तोगी, जे.]

अपने मतभेदों को हल करने में सक्षम थे। बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं और अपने माता-पिता के संघर्ष के कारण अगर उन्हें जल्द से जल्द हल नहीं किया जा सका, तो नाबालिग बच्चे उस समय के शिकार बन गए, जिसके लिए वे दोषी नहीं हैं, बल्कि वास्तव में पीड़ित हैं। इसकी जाँच अलग-अलग तरीके से की जानी चाहिए। यह भी दृष्टिकोण है कि बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए एक प्रगतिशील दृष्टिकोण के रूप में बच्चे के अधिकार और बच्चे के सर्वोत्तम हित में जो आवश्यक है, वह वह है जिसे हमें तत्काल कार्यवाही में दोनों पक्षों द्वारा इस विषय पर कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कई तर्कों के माध्यम से समझना होगा, लेकिन फिर भी यह एक अनुमान कार्य बना हुआ है।

4. इससे पहले कि यह न्यायालय प्रश्न की जांच करने के लिए आगे बढ़े, इस न्यायालय के बहुत सारे निर्णय हैं लेकिन फिर भी प्रत्येक मामले को

अपने तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्णय लिया। जाहिर है, अंतिम लक्ष्य जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह बच्चे का सर्वोत्तम हित है जो अत्यंत महत्वपूर्ण और सर्वोपरि विचार का है।

5. हमारे समक्ष रखे गए विशाल अभिलेख से प्रकट होने वाले मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) और प्रतिवादी (सोभन कोडाली) नाबालिग बच्चों के माता-पिता हैं।

अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) सितंबर, 2004 में अपने मास्टर्स के लिए यू. एस. ए. गई और उसके बाद यू. एस. ए. में काम करना शुरू कर दिया। वह पेशे से एक बायोमेडिकल इंजीनियर हैं। प्रतिवादी (सोभन कोडाली) भी उच्च योग्यता प्राप्त है और जुलाई 2005 में यू. एस. ए. चला गया और वर्तमान में पेशे से एक हृदय रोग विशेषज्ञ है। 14 मार्च, 2008 को हैदराबाद में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार उनकी शादी संपन्न हुई। इस शादी से बेटे अर्थिन और बेटी नेयसा का जन्म 14 मार्च, 2012 और 13 अक्टूबर, 2014 को हुआ था और दोनों अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट भी हैं। जोड़े ने खरीदा

29 जनवरी, 2016 को पेनसिल्वेनिया में उनके संयुक्त नामों पर घर और अपने नए घर में चले गए। बेटा सितंबर 2014 में स्कूल जाने लगा और एक बेटी दिसंबर 2016 में। दोनों बच्चे अपने जन्म से ही अमेरिका में होने के कारण, अमेरिका का सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य निश्चित रूप से उन दोनों में अंतर्निहित था।

19] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि निश्चित रूप से कुछ चला गया है।

उसके आवेदन में दावा। हालाँकि दोनों पक्ष एक ही घर में एक साथ रह रहे थे, उनके बच्चों की संयुक्त कानूनी हिरासत के साथ जो उनके साथ रह रहे थे और अतीत में कभी भी कोई आपराधिक/दुर्व्यवहार का इतिहास नहीं था। 7. विवाह का अपरिहार्य विघटन वैवाहिक कठिनाइयों के कारण हो सकता है जिसमें सुलह की कोई उचित संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका में इस तरह के वैवाहिक मामलों को न्यायिक पक्ष पर निर्णय के लिए लिए जाने से पहले, सुलह के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

और पक्षकारों के बीच मध्यस्थता जिस पर मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से वैवाहिक और अभिरक्षा विवादों को हल करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत भी सक्रिय रूप से ध्यान दिया जा रहा है और जो भारत में भी बहुत सफल और प्रभावी है।

8. अभिलेख से पता चलता है कि याचिका दायर करने की तारीख को

अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) द्वारा तलाक और नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के लिए, यानी 21 दिसंबर, 2016 को अमेरिका में, प्रतिवादी (सोभन कोडाली) को पेश होने का निर्देश देने वाली याचिका पर आदेश पारित किया गया। 20 जनवरी, 2017 को सुलह सम्मेलन और दोनों पक्षों को बच्चों के निवास को नहीं बदलने का निर्देश दिया गया था, जिससे दूसरे पक्ष की अभिरक्षा अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता प्रभावित होगी। उस आदेश के उद्धरण को उद्धृत करना उचित हो सकता है जो उस पर पारित किया गया था

अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) द्वारा दायर आवेदन जो निम्नानुसार हैः

न्यायालय का आदेश

आप, प्रतिवादी/प्रतिवादी, सोभन कोडाली, पर 14 मार्च, 2012 को पैदा हुए बच्चों, अर्थिन कोडाली और नेयसा सखामुरी की साझा कानूनी और प्राथमिक शारीरिक हिरासत प्राप्त करने के लिए अदालत में मुकदमा चलाया गया है।

कोडाली का जन्म 13 अक्टूबर 2014 को हुआ था।

लाहरी सखामुरी बनाम। सोभन कोडाली [रस्तोगी, जे.]

आपको कमरा 325, लेहाई काउंटी कोर्टहाउस, 455 डब्ल्यू हैमिल्टन स्ट्रीट, एलेनटाउन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है। पेनसिल्वेनिया, 20 जनवरी, 2017 को 2 बजेः 00 पी. एम. के लिए

XX

एक पूर्व-परीक्षण सम्मेलन। न्यायालय के समक्ष सुनवाई।

यदि आप इस आदेश द्वारा प्रदान किए गए अनुसार उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो आपके खिलाफ हिरासत का आदेश दर्ज किया जा सकता है या अदालत एक आदेश जारी कर सकती है। आपकी गिरफ्तारी के लिए वारंट।

आपको अपने और किसी भी जीवित व्यक्ति के संबंध में किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड या दुर्व्यवहार के इतिहास के बारे में अदालत में सत्यापन दायर करना होगा।

आपके घर में न्यायालय के साथ प्रारंभिक व्यक्तिगत संपर्क पर या उससे पहले (जिसमें एक सम्मेलन अधिकारी या न्यायाधीश या सुलह के साथ एक सम्मेलन शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है) लेकिन शिकायत या याचिका की सेवा के 30 दिनों के बाद नहीं।

कोई भी पक्ष किसी भी बच्चे के निवास में बदलाव नहीं कर सकता है जो दूसरे पक्ष की व्यायाम करने की क्षमता को काफी बाधित करता है। पहले 23 Pa.C.S. § 5337 और Pa.R.C.P के सभी लागू प्रावधानों का पालन किए बिना अभिरक्षा अधिकार।

स्थानांतरण के बारे में।

आपको इस कागज को अपने पास ले जाना चाहिए

एक बार वकील। यदि आपके पास कोई वकील नहीं है, तो नीचे स्थित कार्यालय में जाएं या फोन करें। यह कार्यालय आपको एक वकील को नियुक्त करने के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। यदि आप किसी वकील को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, तो यह कार्यालय आपको उन एजेंसियों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम हो सकता है जो योग्य व्यक्तियों को कम शुल्क या बिना शुल्क के कानूनी सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।

लेहाई काउंटी बार एसोसिएशन

वकील रेफरल सेवा

पी. ओ. बॉक्स 1324

एलेनटाउन, PA 18105-1324

टेलीफोनः

610-

433-7094 [2019] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1990 का विकलांग अधिनियम वाले अमेरिकी

लेहाई काउंटी के सामान्य याचिकाओं का न्यायालय आवश्यक है

1990 के विकलांग अधिनियम वाले अमेरिकियों का पालन करने के लिए कानून। सुलभ सुविधाओं और उचित के बारे में जानकारी के लिए

न्यायालय के समक्ष व्यवसाय करने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध आवास, कृपया न्यायालय प्रशासक कार्यालय से (610) 782-3014 पर संपर्क करें। न्यायालय के समक्ष किसी भी सुनवाई या कार्य से कम से कम 72 घंटे पहले सभी व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए। आपको निर्धारित सम्मेलन या सुनवाई में भाग लेना चाहिए।

न्यायालय द्वाराः

/ आरआर

12/21/2016

तिथि

जे "।

9. अभिलेख से पता चलता है कि सुलह की प्रक्रिया में प्रयास चल रहे थे और वे 21 मार्च, 2017 को आयोजित किए गए थे और

चूंकि पक्ष अपने बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में किसी भी सहमति पर नहीं पहुंच सके, इसलिए 25 मार्च, 2017 को एक और सम्मेलन निर्धारित किया गया था।

10. उस समय तक दल प्रशिक्षित सुलहकर्ताओं के हस्तक्षेप से अंतिम सहमति तक पहुंच सकते थे जो निर्विवाद रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अप्रैल, 2017 और हैदराबाद (भारत) आने के 20 दिनों के भीतर, जहां उसका परिवार रहता है, उसने 12 अप्रैल, 2017 को परिवार न्यायालय, हैदराबाद में नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा और उनके खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 के तहत प्रतिवादी (सोभन कोडाली)

और वह 12 अप्रैल, 2017 को एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करने में सफल रही। हैदराबाद के विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा 12 अप्रैल, 2017 को पारित एकतरफा निषेधाज्ञा आदेश के उद्धरण को उद्धृत करना उचित होगा जो इस प्रकार हैः

लाहरी सखामुरी बनाम। सोभन कोडाली

25

[आरएएसटीओजी, जे।]

" एडी इंटरिम इंजंक्शन

ए.

न्यायाधीश अतिरिक्त परिवार न्यायालयः

सिटी सिविल कोर्टः हैदराबाद

2017 का आई. ए. सं. 292

में

बी.

2017 का ओपी No.433

दोनोंः श्रीमती. लहरी सखामुरी, सोभन कोडाली, हिंदू,

सी.

34 वर्ष की आयु, आर/ओ प्लॉट संख्या 443/ए-28, रोड No.86, जुबली हिल्स,

हैदराबाद टी. एस.

.....

याचिकाकर्ता

डी.

और

सोभन कोडाली,

डॉ. जया रमेश कोडाली, हिंदू,

लगभग 37 वर्ष की आयु,

आर/ओ #2 सी85, बेलफ्लावर लेन,

ई.

सेंटर वैली, लेहाई काउंटी,

पेनसिल्वेनिया-18034, संयुक्त राज्य अमेरिका

उत्तरदाता

को। सोभन कोडाली, पुत्र डॉ. जया रमेश कोडाली, हिंदू, आयु लगभग 37 वर्ष, आर/ओ #2 सी85, बेलफ्लावर लेन, सेंटर वैली, लेहाई काउंटी, पेंसिल्वेनिया-18034, यूएसए

एफ.

जी.

श्री के. चैतन्य द्वारा इस न्यायालय को दिया गया प्रस्ताव,

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से प्रतिवादी को जबरन ले जाने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा देने की मांग की

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नाबालिग बच्चे अर्थिन कोडाली और नेयसा सखामुर याचिकाकर्ता की हिरासत से उपरोक्त ओ. पी. लंबित है।

याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने पर इस अदालत ने प्रतिवादी को 26.04.2017 द्वारा वापस करने योग्य नोटिस जारी करते हुए प्रतिवादी को वापस लेने से रोकने का आदेश दिया

नाबालिग बच्चे अर्थिन कोडाली और नेयसा सखामुर याचिकाकर्ता की हिरासत से 26.04.2017 तक और याचिकाकर्ता को अदालत की अनुमति के बिना बच्चों को इस अदालत के अधिकार क्षेत्र से स्थानांतरित नहीं करना चाहिए, और याचिकाकर्ता को भी देखना चाहिए।

बच्चों के भोजन, आश्रय और चिकित्सा सुविधाओं के बाद याचिका 26.04.2017 पर पोस्ट की गई। अप्रैल , 2017 के 12 वें दिन मेरे हाथ और कोर्ट की मुहर के नीचे दिया गया।

एसडी /

जज, एडीडीएल। पारिवारिक न्यायालय

सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद "

11. कुछ दिनों के बाद, उसने प्रतिवादी (सोभन कोडाली) और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए के तहत अपराध के लिए एक प्राथमिकी भी दर्ज की।

यानी 21 अप्रैल, 2017 को, लेकिन जांच के बाद, पुलिस ने 1 नवंबर, 2017 को समापन रिपोर्ट दायर की। इस स्तर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अपीलकर्ता (लहरी सखामुरी) ने 21 दिसंबर, 2016 को अमेरिका में नाबालिग बच्चों के तलाक और अभिरक्षा के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी (सोभन कोडाली) द्वारा उन पर या नाबालिग बच्चों पर कोई घरेलू हिंसा या दुर्व्यवहार नहीं किया गया था और उन्हें 23 अप्रैल, 2017 को बारह घंटे में सूचित किया गया था

12. तुरंत, मौखिक जानकारी प्राप्त करने पर, 26 अप्रैल, 2017 को, तलाक की याचिका में अंतरिम आदेशों के लिए आपातकालीन याचिका और अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) के कहने पर दायर अभिरक्षा लाहरी सखामुरी बनाम थी।

सोभन कोडाली [रस्तोगी, जे.]

प्रतिवादी (सोभन कोडाली) द्वारा दायर किया गया। उक्त आवेदन को अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) ने वकील के माध्यम से चुनौती दी थी और बचाव पक्ष ने कहा कि वह केवल अपनी दादी के अंतिम संस्कार में भाग लेने और अपनी माँ को भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए अस्थायी रूप से भारत स्थानांतरित हुई थी।

पक्षों को सुनने के बाद अमेरिकी अदालत ने 22 मई, 2017 को आदेश पारित किया

अभिरक्षा मामले पर अधिकार क्षेत्र जारी रखने के लिए और प्रत्यर्थी (सोभन कोडाली) को बच्चों की अस्थायी शारीरिक अभिरक्षा प्रदान करने के लिए एक और निर्देश के साथ कि बच्चों को 2 जून, 2017 तक अमेरिका में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वापस कर दिया जाए। यह उद्धृत करना उचित होगा कि

प्रतिवादी सोभन कोडाली द्वारा 22 मई, 2017 को दायर आपातकालीन हिरासत याचिका पर अमेरिकी अदालत द्वारा पारित आदेश का उद्धरणः

" आम अदालत में कृपया लेह की प्रार्थना करें

देश, पेन्सिल्वेनिया नागरिक विभाजन

लहरी सखामुरी

)

वादी

फाइल No.2016-एफ. सी.-1641

)

बनाम

)

हिरासत में

सोभन कोडाली

प्रतिवादी

)

आदेश

और अब, इस 22 मई, 2017 को राहत के लिए आपातकालीन याचिका पर विचार करने के बाद प्रतिवादी द्वारा दायर हिरासत के अंतरिम आदेश का अनुरोध करते हुए और प्रतिवादी/याचिकाकर्ता सोभन कोडाली द्वारा आयोजित सुनवाई में उनके कानूनी वकील, मार्क बी. डिसेल, एस्क्वायर और

वादी/प्रतिवादी, लाहरी सखामुरी उक्त सुनवाई के लिए उपस्थित होने में विफल रहे, लेकिन उनके कानूनी वकील, मैरी जे. बी. ईडलमैन एस्क्वायर; [2019] 5 एस. सी. आर.

टी को आदेश दिया गया है किः

लेहाई काउंटी, पेनसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका पार्टियों के नाबालिग बच्चों का एकमात्र गृह देश, गृह राज्य और देश बने रहें, अर्थिन कोडाली का जन्म 14.03.2012 और नेयास

सखामुरी कोडाली, जन्म 13.10.2014।

इस न्यायालय के पास इस अभिरक्षा मामले का एकमात्र निरंतर अधिकार क्षेत्र होगा जो वादी, लहरी सखामुरी द्वारा 21.12.2016 पर दायर किया गया था।

अदालत के आगे के आदेश तक, पिता को अस्थायी अनुमति दी गई है

बच्चों की शारीरिक अभिरक्षा;

माँ बच्चों को लेहाई काउंटी, पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में पिता की अभिरक्षा में देर से 02.06.2017 पर वापस कर देगी।

जब तक बच्चे वापस नहीं आते, तब तक पिता के पास टेलीफोन होगा और

हर दिन बच्चों के साथ वीडियो चैट संपर्क;

इस अधिकार क्षेत्र में लौटने पर, माँ को राष्ट्रमंडल पेंसिल्वेनिया से बाहर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

अदालत के आगे के आदेश के बिना नाबालिग बच्चों के साथ;

बच्चों के पासपोर्ट को एस्क्रो में रखा जाएगा

पक्षकारों के वकील या कोई अन्य पारस्परिक रूप से सहमत व्यक्ति;

यदि माँ 02.06.2017 द्वारा बच्चों को पिता को वापस करने में विफल रहती है, तो माँ पिता को हर दिन 1,000 डॉलर का भुगतान करेगी जो वह बच्चों को वापस नहीं करती है।

यदि माँ 02.06.2017 द्वारा बच्चों को पिता को वापस नहीं करती है, तो पिता और/या उसके किसी भी नामित व्यक्ति के रूप में उसके पिता, जयरमेश कोडाली; उसकी माँ, विजय भारती; उसके चचेरे भाई, चैतन्य कादियाला को भारत में माँ से बच्चों को प्राप्त करने और उन्हें लेहाई काउंटी में लाने की अनुमति दी जाएगी।

पेनसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका;

जब तक माँ संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं लौटती, तब तक उसे राज्य की ओर से बच्चे का समर्थन लेने से रोका जाएगा।

बच्चे; लहरी सखामुरी बनाम। सोभन कोडाली [रस्तोगी, जे.]

11. इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति भारत में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को भेजी जाएगी और उपयुक्त अदालत में पंजीकृत की जाएगी।

/ हैदराबाद, भारत में अधिकार क्षेत्र;

12. इस आदेश के तीस (30) दिनों के भीतर, माँ पिता को परामर्श शुल्क के लिए आंशिक भुगतान के रूप में 10,000 डॉलर का भुगतान करेगी।

इस मामले में पिता। माता द्वारा पिता को दी जाने वाली परामर्श शुल्क की राशि का अंतिम निर्धारण अदालत द्वारा बाद की सुनवाई के बाद किया जाएगा, जिसका अनुरोध निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है:

किसी भी पार्टी में।

न्यायालय

द्वारा:

एसडी /

डेनियल के.

मैकार्थी "

13. इसके बाद, प्रतिवादी (सोभन कोडाली) ने आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर किया।

संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 के तहत नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में अपीलार्थी (लहरी सखामुरी)। इसके साथ ही, समय गंवाए बिना, प्रतिवादी (सोभन कोडाली) ने एक रिट याचिका भी दायर की जिसमें नाबालिग बच्चों को अमेरिकी अदालत की हिरासत में पेश करने के लिए हैबियस कॉर्पस की रिट की मांग की गई थी। 21 दिसंबर, 2016 में 22 मई, 2017 के आदेश का पालन किया गया। अपील और रिट याचिका को एक साथ जोड़ा गया था, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा 8 फरवरी, 2018 के अलग-अलग आदेशों द्वारा निर्णय लिया गया था कि परिवार [2019] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हैदराबाद का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि बच्चे सामान्य रूप से परिवार न्यायालय, हैदराबाद के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं जैसा कि अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूपअपीलार्थी (लहरी सखामुरी) द्वारा दायर आवेदन कायम रहा। उसी समय, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में, आदेश दिनांक 8 फरवरी, 2018 को पारित किया गया। न्यायालय ने अंततः आदेश दिया कि

6 उपरोक्त चर्चा और कानूनी स्थिति को देखते हुए, हम हैं

यह सुविचारित राय कि नाबालिग बच्चों का अमेरिका लौटना उनके सर्वोत्तम हित में होगा ताकि वे वहां प्राकृतिक वातावरण में आनंद ले सकें, अपने पिता और दादा-दादी का प्यार, देखभाल और ध्यान प्राप्त कर सकें, अपने काम को फिर से शुरू कर सकें।

स्कूल जाएँ और अपने शिक्षकों, साथियों और दोस्तों के साथ रहें।

. तदनुसार, हम एतद्द्वारा पांचवें प्रत्यर्थी को इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार (04) सप्ताह के भीतर भारत में याचिकाकर्ता को बच्चों को वापस करने का निर्देश देते हैं, जिसमें विफल रहने पर, हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास

बच्चों की अभिरक्षा और अभिरक्षा भारत या अमेरिका में याचिकाकर्ता को अमेरिका की आरामदायक यात्रा करके सौंप दें।

. पाँचवाँ उत्तरदाता भी उच्च शिक्षित है और कई वर्षों से अमेरिका में लाभकारी रूप से कार्यरत था। तदनुसार, हम

एतद्द्वारा 5 म प्रत्यर्थी को स्वतंत्रता प्रदान करें, जब भी वह महसूस करे

यू. एस. में बच्चों से मिलने के लिए, याचिकाकर्ता सभी व्यवस्थाएं करेगा, यानी यात्रा, यू. एस. में आरामदायक प्रवास और अन्य खर्च जब तक कि यू. एस. अदालत 5 वें प्रतिवादी द्वारा दायर याचिकाओं में निर्देश पारित नहीं करती है या वह किसी भी देश में लाभकारी नहीं हो जाती है। जो भी पहले हो।

. जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया है कि हम याचिकाकर्ता को निर्देश देते हैं कि वह 5 वें प्रतिवादी पर अमेरिकी न्यायालय द्वारा लगाए गए खर्च और जुर्माने पर जोर नहीं देगा।. हम याचिकाकर्ता को यह भी निर्देश देते हैं कि यदि बच्चे भारत में हैं और पांचवां प्रतिवादी भारत में है, तो बच्चे वहीं रहेंगे।

पाँचवें उत्तरदाता के साथ। वह पांचवें उत्तरदाता को बच्चों के साथ वॉट्सऐप और वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बातचीत करने की पूरी सुविधा देगा।

आदि। " लाहरी सखामुरी बनाम। सोभन कोडाली [रस्तोगी, जे.]

15. प्रतिवादी (सोभन कोडाली) द्वारा धारा 19 (1) पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के साथ-साथ दिनांकित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तहत दायर याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोनों आदेश

फरवरी, 2018 को अपीलार्थी (लहरी) द्वारा चुनौती दी गई।

मुरी) वर्तमान अपीलों में।

16. लंबित कार्यवाही में, एच काउंटी, पेंसिल्वेनिया सिविल डिवीजन-लॉ की सामान्य याचिकाओं की अदालत में, 9 मार्च, 2018 को प्रतिवादी (सोभन कोडाली) को नाबालिग बच्चों की ओर से अमेरिकी पासपोर्ट बदलने की अनुमति देते हुए आगे का आदेश दिया गया है।

आर. डी. आर. को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" आम अदालत में कृपया

लेहिग काउंटी, पेनसिल्वेनिया

नागरिक विभाजन कानून

लहरी सखामुरी,

वादी,

नहीं। 2016 - एफसी-

1641

बनाम।

सोभन कोडाली,

कस्टडी में

प्रतिवादी,

;

न्यायालय का आदेश

और अब यह 9 मार्च, 2018 का दिन, विचार करने पर

विशेष राहत के लिए प्रतिवादी की आपातकालीन याचिका

अभिरक्षा में, यह इसके द्वारा निम्नानुसार आदेशित और घोषित किया जाता हैः

1. विशेष राहत के लिए प्रतिवादी की आपातकालीन याचिका है

प्रदान किया गया;

2. प्रतिवादी, सोभन कोडाली को नाबालिग बच्चों, 14 मार्च, 2012 को पैदा हुए अर्थिन कोडाली और 13 अक्टूबर, 2014 को पैदा हुई नेयसा सखामुरी कोडाली की एकमात्र कानूनी हिरासत दी गई है।3. भारत में बच्चों को मां द्वारा बनाए रखना "गलत" है।

23 Pa.C.S. §5201 आदि पर संहिताबद्ध बाल अपहरण उपचार अधिनियम के अनुसार बच्चों का प्रतिधारण। सेक।

4. प्रतिवादी, सोभन कोडाली को नाबालिग बच्चों की ओर से अमेरिकी पासपोर्ट के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।

अर्थिन कोडाली, जिनका जन्म 14 मार्च, 2012 को हुआ था, और नेयसा सखामुरी कोडाली, जिनका जन्म 13 अक्टूबर, 2014 को हुआ था, ने फॉर्म डी. एस. 11 के आवेदन के माध्यम से यहाँ "बी" के रूप में संलग्न किया, और माँ की सहमति के बिना।

5. संयुक्त राज्य अमेरिका का विदेश विभाग, इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति की प्रस्तुति पर, नाबालिग बच्चों के पिता सोभन कोडाली को प्रतिस्थापन पासपोर्ट जारी करेगा, भले ही पिता ने पहले बच्चों के प्रवेश का अनुरोध किया था।

विभाग के बाल पासपोर्ट जारी करने की चेतावनी कार्यक्रम (सी. पी. आई. ए. पी.) और मामले संख्या 1536567 के माध्यम से 24 मई, 2017 को उस प्रणाली में बच्चों के प्रवेश की पुष्टि प्राप्त हुई।

अदालत द्वारा

_जे. ”

17. विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों से पहले

पक्षकारों का प्रचार किया जा रहा है, यह इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से प्रकट हो सकता है कि पति या पत्नी के व्यक्तिगत संबंधों और बच्चों के कल्याण के अत्यधिक और सर्वोपरि विचार को ध्यान में रखते हुए और यह पता लगाने के लिए कि क्या मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से उनके वैवाहिक मतभेदों को हल करने की कोई संभावना है।

न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के हस्तक्षेप के साथ मेज पर बैठकर उनके चल रहे वैवाहिक मतभेदों को हल करने का समाधान। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पक्षकार किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके और दोनों विद्वान वकीलों ने इस न्यायालय को सूचित किया कि चूंकि मध्यस्थता अब संभव नहीं हो सकती थी, इसलिए मामले की सुनवाई की जा सकती है और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

18. अपीलार्थी सुश्री मालविका राजकोटिया के विद्वान वकील,

प्रस्तुत करता है कि अमेरिका में प्रत्यावर्तन बच्चों के सर्वोत्तम हित में नहीं होगा और इस न्यायालय ने हमेशा यह अभिनिर्धारित किया है कि बच्चों के सर्वोत्तम हित को अदालतों या किसी भी लाहरी सखामुरी बनाम के सौहार्द के सिद्धांत पर त्याग नहीं किया जा सकता है।

सोभन कोडाली [रस्तोगी, जे.]

बच्चे मां अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) के साथ हैं, यह अदालत के लिए बच्चों के सर्वोत्तम हित में है कि वह पहली बार में अपनी स्वायत्तता की रक्षा करके मां के मनोवैज्ञानिक कल्याण और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करे, ताकि वह अपने स्थान की पसंद का प्रयोग कर सके, विशेष रूप से जब वह अपने वैवाहिक घर में व्यथित हो। 19.विद्वान वकील ने आगे कहा कि मुकदमे में प्रथम दृष्टया इस धारणा का खंडन किया जा सकता है, लेकिन वह अपने माता-पिता की क्षमता और खुद को और बच्चों को बचाने के लिए परिस्थितियों को स्थापित करने का अवसर प्रदान नहीं कर सकती है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि अपीलकर्ता (लहरी सखामुरी) और प्रतिवादी (सोभन कोडाली) भारतीय नागरिक हैं और "बच्चे के सर्वोत्तम हित" नियम के तहत प्राथमिक देखभाल करने वाले को बच्चों से अलग करना कानून के तहत उसे गारंटीकृत स्वायत्तता के उसके मौलिक अधिकार पर आक्रमण है और आगे कहा कि माता-पिता के अधिकार देने में

और विशेषाधिकार, जो सुनिश्चित किया जाना है वह बच्चों का सर्वोत्तम हित है जो स्वीकार्य रूप से कठिन है क्योंकि यह ऐसे परिस्थितियों में उनके जीवन और कल्याण से संबंधित है, एक मनोवैज्ञानिक द्वारा "कम से कम सबसे खराब विकल्प" के रूप में कहा जा रहा है क्योंकि माता-पिता दोनों के साथ निकटता का आदर्श किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। बच्चे और उनकी माँ भारत में हैं और पिता के भारत में शादी करने के लिए एक सुलभ अधिकार क्षेत्र है और भारतीय कानून एक सांस्कृतिक संदर्भ में लागू होता है जिसे यहां अच्छी तरह से सराहा जाता है और प्रतिवादी (सोभन कोडाली) के पिता के पास भारत आने और भारत में अपने बच्चों से मिलने का साधन है।

20. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आगे कहा कि हालाँकि वह अमेरिका में शुरू की गई अपनी कार्यवाही में पूरी तरह से चुप रही है।

बच्चों की तलाक और अभिरक्षा याचिका पर अदालत क्योंकि अमेरिका में एक प्रावधान है कि अगर कोई अपरिवर्तनीय ब्रेक है तो कोई तलाक ले सकता है विवाह की कमी और सुलह की संभावनाओं को यथोचित रूप से खारिज कर दिया गया है, इसलिए उसके लिए यह इंगित करने का कोई अवसर नहीं था कि उसने मानसिक और शारीरिक रूप से क्या झेला है और तीव्र मानसिक, भावनात्मक और यहां तक कि शारीरिक हिंसा के कारण जीना कितना विवश था और यह [2019] 5 एस. सी. आर. में नहीं है।

बच्चों का हित कि उनकी माँ को दुखी किया जाए,

अपमानजनक स्थिति। यह बच्चों के कल्याण में नहीं है कि वे अपनी माँ के अवमूल्यन के गवाह बनें। यह भी उनके हित में नहीं है कि वे, एक परिवार के रूप में रहने वाले अपने माता-पिता के निरंतर विषाक्त संघर्ष को देखें या सहयोगात्मक पालन-पोषण की निकटता में भी। ऐसे मामलों में, जीवनसाथी के साथ दूरी, बच्चे के साथ दो माता-पिता के बीच उनके अपने स्थान पर संपर्क का एकमात्र बिंदु सबसे अच्छा समाधान है।

21. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी (सोभन कोडाली) के पति के हाथों उसके और उसके नाबालिग बच्चों को हुए उत्पीड़न और अपमान के कारण, उसके पास अमेरिका से दूर रहने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। इसके अलावा, बच्चों को हैदराबाद के सबसे अच्छे स्कूल में भर्ती कराया जाता है जहाँ वे वर्तमान में पढ़ रहे हैं। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि निथ्या आनंद राघवन बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और एक अन्य मामले में, यह न्यायालय सूर्य वदनन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य 2 में लिए गए निष्कर्षों से असहमत है, जिसमें "प्रथम हड़ताल" सिद्धांत को निर्धारित किया गया है कि विदेशी न्यायालय के आदेश को महत्व दिया जाना चाहिए, जिसके अधिकार क्षेत्र हैं और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बच्चों का सर्वोत्तम हित और कल्याण सर्वोपरि है और यदि बच्चों को विदेशी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सौंपने से उनके सर्वोत्तम हित और कल्याण को नुकसान होगा, तो न्यायालय विदेशी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थान पर उनकी वापसी का निर्देश नहीं देगा। उक्त मामले में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते हुए, दो नाबालिग बच्चे जो खुशी-खुशी अपीलार्थी और उसके माता-पिता की संगति में रखे गए हैं, यदि उन्हें विदेशी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सौंपा गया है, तो यह उनके सर्वोत्तम हित और बच्चों के कल्याण में नहीं हो सकता है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि भारतीय न्यायालयों ने अधिकारिता क्योंकि पक्षों ने यहाँ शादी की थी और हिंदू विवाह अधिनियम तलाक पर लागू होता है और धारा 26 अभिरक्षा से संबंधित है। आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत प्रत्यर्थी द्वारा जो निवेदन किया जा रहा है वह एक मिश्रित है।

कानून और तथ्यों के प्रश्न और इसलिए केवल मुकदमे के दौरान ही जांच की जा सकती थी, लेकिन इस स्तर पर नहीं।

22. इस दलील के समर्थन में विद्वान वकील ने जसमीत कौर बनाम नवतेज सिंह 3 के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा जताया है।

कि अधिवास पर स्थापित अधिकार क्षेत्र परीक्षण का विषय है और इस पर संक्षेप में निर्णय नहीं लिया जा सकता है और प्रस्तुत किया कि संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 के तहत दायर हिरासत याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

1 2017 (8) एससीसी 454

22015 (5) एससीसी 450 3 3 2018 (4) एस. सी. सी. 295 लहरी सखामुरी बनाम।

सोभन कोडाली [रस्तोगी, जे.]

दी गई तथ्य स्थिति और आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत दायरे पर ध्यान दिए बिना। 23. इसके विपरीत, प्रतिवादी की वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने सुरिंदर मामले में इस अदालत के फैसलों का उल्लेख किया।

कौर संधू बनाम हरबक्स सिंह संधू और Anr.4; एलिजाबेथ दिनशॉ बनाम अरविंद एम. दिनशॉ और अन्य; वी. रवि चंद्रन (डॉ.) बनाम भारत संघ और अन्य; निथ्या आनंद राघवन का मामला (ऊपर) और सूर्य वडानन का मामला (ऊपर), और इसकी सहायता लेते हुए, प्रस्तुत किया कि दो नाबालिग बच्चे अमेरिका में पैदा हुए थे और वे दोनों अमेरिकी नागरिक हैं और स्कूल जाने वाले हैं और वे आनंद लेते हैं। उनकी स्कूली शिक्षा (जो अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ दायर की गई तस्वीरों से स्पष्ट है) और अमेरिकी अदालत के आदेश के बावजूद बच्चों को अमेरिका से हटाने से उनके भविष्य पर प्रभाव पड़ता है और हो सकता है कि ऐसा न हो।

उनके सर्वोत्तम हित में।

24. विद्वान वकील ने आगे कहा कि अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) और प्रतिवादी (सोभन कोडाली) ने अपना वैवाहिक संबंध शुरू किया।

अमेरिका में जीवन और लगभग 14 वर्षों से वहाँ रहे हैं, वे हो रहे हैं

उस संस्कृति के साथ और अपने वैवाहिक जीवन में, भारत की छोटी यात्रा की अवधि को छोड़कर, उन्होंने अपना अच्छा समय अमेरिका में बिताया और बच्चों को अमेरिका से निकालना, दी गई परिस्थितियों में, उनके सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी (लहरी)

सखामुरी) ने स्वयं स्वीकार किया था कि बच्चे प्रतिवादी (सोभन कोडाली) के साथ साझा हिरासत में थे और उन्हें कभी भी किसी भी समय घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होना पड़ा था और उन्होंने नाबालिग बच्चों के तलाक और उनके निवास के आधार पर हिरासत के लिए अमेरिकी अदालत के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया था और इसलिए, उनके लिए अमेरिकी अदालत के आदेशों की अवहेलना करना खुला नहीं हो सकता है, विशेष रूप से 22 मई, 2017 के आदेश जिसमें प्रतिवादी (सोभन कोडाली) को बच्चों की अस्थायी शारीरिक हिरासत दी गई थी और अपीलकर्ता (लहरी सखामुरी) को निर्देश दिया गया था कि नाबालिग बच्चों को 2 जून, 2017 तक अमेरिकी अदालत के अधिकार क्षेत्र में वापस कर दिया जाना चाहिए।

25. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जो सामग्री अभिलेख पर आई है, उससे यह निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता है कि

नाबालिग बच्चों को उनके मूल राज्य, यानी अमेरिका लौटने में कोई नुकसान। इसके अलावा, अपीलार्थी की ओर से कार्यवाही में (लहरी)

41984 (3) एस. सी. सी. 698

5 1987 (1) एस. सी. सी 42

6 2010 (1) एस. सी. सी. 174 [2019] 5 एस. सी. आर.

प्रत्यर्थी (सोभन कोडाली) के साथ और दी गई परिस्थितियों में, भारत लौटने का उसका एकतरफा निर्णय नाबालिग बच्चों को प्यार, ध्यान, देखभाल और सुविधाओं, सुविधाओं, पालन-पोषण और पर्यावरण के मामले में वंचित नहीं कर सकता है, जिसके वे अमेरिका में रहने के आदी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नाबालिग बच्चों का भारत में अपने पिता और अपने स्कूल और अपने साथियों से दूर रहने का निर्णय नहीं है। अमेरिकी न्यायालय के पास नाबालिग बच्चों के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सबसे अंतरंग संपर्क और निकटतम चिंता है जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा व्यापक रूप से जांच की गई है और निष्कर्ष को विवादित फैसले के तहत दर्ज किया गया है। बच्चों को सबसे अच्छा लगता है।

26. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि नाबालिग बच्चों के साथ भारत में रहने का निर्णय करते समय बच्चों के सर्वोत्तम हित को दरकिनार कर दिया गया है, जो अमेरिकी नागरिक हैं और 23 मार्च, 2017 तक अमेरिका में स्थायी रूप से रह रहे थे, जब उन्हें अमेरिकी अदालत द्वारा पारित 21 दिसंबर, 2016 के आदेश का उल्लंघन करते हुए अमेरिका से हटा दिया गया था और अपने पिता से जबरन अलग कर दिया गया था।

अमेरिका जो बच्चे अनुभव कर रहे थे, उनका प्राकृतिक वातावरण है और दी गई परिस्थितियों में, भारत में बच्चों को हिरासत में रखना गैरकानूनी है और नाबालिग बच्चों के बाल अपहरण उपचार अधिनियम का उल्लंघन है।

यू. एस. और यू. एस. अदालत ने अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) को 2 जून, 2017 तक बच्चों को यू. एस. अदालत में वापस लाने का निर्देश दिया है और

उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अभिलेखों पर उपलब्ध ठोस सामग्री पर आधारित हैं और आगे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

27. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि नाबालिग बच्चे परिवार न्यायालय, हैदराबाद के अधिकार क्षेत्र के सामान्य निवासी नहीं हैं, जैसा कि अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 9 के तहत परिभाषित किया गया है क्योंकि दोनों स्वाभाविक रूप से अमेरिकी नागरिक हैं और केवल 23 मार्च, 2017 को भारत आए थे और 20 दिनों के भीतर, अपीलकर्ता (लहरी सखामुरी) द्वारा 12 अप्रैल, 2017 को परिवार न्यायालय, हैदराबाद के समक्ष बच्चों की अभिरक्षा के लिए आवेदन दायर किया गया था। परिवार न्यायालय, हैदराबाद को संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 और दिए गए लाहरी सखामुरी बनाम के तहत आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था।

सोभन कोडाली [रस्तोगी, जे.]

परिस्थितियों में, आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत प्रतिवादी (सोभन कोडाली) द्वारा दायर आवेदन को एल. डी. द्वारा मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया था। पारिवारिक न्यायालय और जिसकी समीक्षा उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर की गई थी और निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि बच्चे परिवार न्यायालय, हैदराबाद के अधिकार क्षेत्र के सामान्य निवासी नहीं हैं, जहां अपीलकर्ता (लहरी सखामुरी) द्वारा बच्चों की अभिरक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 के तहत अपीलकर्ता (लहरी सखामुरी) द्वारा दायर आवेदन को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गई थी क्योंकि अधिकार क्षेत्र की कमी थी और केवल इसलिए कि उनका विवाह हैदराबाद में संपन्न किया गया था, संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 के तहत नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के उद्देश्य से परिवार न्यायालय, हैदराबाद को एक क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगा।

28. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि दोनों मुद्दों के संबंध में

हैदराबाद के विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा और एक आवेदन की अस्वीकृति पर उच्च न्यायालय द्वारा दो अलग-अलग विवादित फैसलों के तहत विस्तार से चर्चा की गई है और इसमें आगे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

अदालत।

29. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सहायता से रिकॉर्ड और उद्धृत निर्णयों की प्रचुरता का भी अध्ययन किया है।

इस न्यायालय से। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तत्काल अपीलों की सुनवाई के बीच क्या हुआ, इस पर ध्यान देना उचित होगा। 26 मार्च, 2018 को इस न्यायालय ने अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) और प्रतिवादी (सोभन कोडाली) को सुनवाई की अगली तारीख 9 अप्रैल, 2018 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी (सोभन कोडाली) को बच्चों से मिलने की अनुमति दी गई थी, संभवतः यदि संभव हो तो सौहार्दपूर्ण समाधान को ध्यान में रखते हुए।

पक्षों के बीच और एक स्तर पर 12 अक्टूबर, 2018 के आदेश द्वारा, पक्षों को अपने मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की स्वतंत्रता दी गई थी और पक्षों को एक सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने में सुविधा प्रदान करने के लिए, एक वरिष्ठ वकील से मध्यस्थता करने का अनुरोध किया गया था जिसे पार्टियों द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया गया था। तदनुसार, समझौतों की संभावनाओं का पता लगाया गया और एक स्तर पर, समझौता भी पक्षकारों के लिए संभवतः स्वीकार्य था जैसा कि इस न्यायालय के 29 अक्टूबर, 2018 के आदेश से पता चलता है। 29 अक्टूबर, 2018 के आदेश के उद्धरण के बाद 27 नवंबर, 2018 के आदेश को उद्धृत करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 का आदेश " प्रतिवादी/पति और याचिकाकर्ता/पत्नी दोनों उपस्थित हैं। हम बेहद खुश हैं कि उन्होंने एक-दूसरे को माफ करने, अतीत को भूलने और अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

श्रीमती लाहरी सखामुरी/याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि वह भारत और विदेशों में उनके द्वारा दायर सभी मामलों को वापस ले लेंगी और

वह किसी भी आपराधिक कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है।

चूँकि श्री सोभन कोडाली/प्रतिवादी को वापस जाना पड़ता है

संयुक्त राज्य अमेरिका कल यानी 30.10.2018 पर, पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से की गई व्यवस्था के आधार पर, औपचारिक आदेशों के लिए इस मामले को 14.11.2018 पर पोस्ट करें।

हम श्रीमती लहरी के बीच सभी लंबित मामलों पर रोक लगाते हैं।

सखामुरी और सोभन कोडाली, दोनों दीवानी और आपराधिक।

हम उन्हें एक-दूसरे या उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई मामला दर्ज करने या कोई याचिका दायर करने से भी रोकते हैं। इस न्यायालय से स्पष्ट अनुमति के बिना एक-दूसरे या उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ शिकायत।

हम सुलह को सुविधाजनक बनाने के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गुरुकृष्ण कुमार द्वारा किए गए कठिन प्रयासों के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं।

दिनांक 27 नवंबर, 2018 का आदेश

" निर्देश पर दोनों पक्षों के विद्वान वकील का कहना है कि वे भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका में एक-दूसरे के खिलाफ दायर सभी मामलों को वापस ले लेंगे।

प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील-निर्देश पर पति प्रस्तुत करता है कि 10 दिनों के भीतर, वह उत्तरदाता के पासपोर्ट की व्यवस्था करेगा। नाबालिग बच्चा-अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से आर्थिन। यह भी कहा गया है कि पति उसी अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के आप्रवासन और वीजा की स्थिति से संबंधित सभी मुद्दों, यदि कोई हो, को हल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

लाहरी सखामुरी बनाम। सोभन कोडाली [रस्तोगी, जे.]

एक बार जब इस तरह के मुद्दे साफ हो जाते हैं, तो हम याचिकाकर्ता को इस तरह की मंजूरी प्राप्त करने के एक सप्ताह के भीतर अपने पति और बच्चों के साथ अमेरिका जाने का निर्देश देते हैं।

हम श्री गुरुकृष्ण कुमार द्वारा किए गए कठिन प्रयासों के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं, जो सहायता करने के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील हैं।

पक्षों को एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने और पुनर्मिलन के लिए।

दोनों तरफ से उल्लेख करने पर सूची बनाएँ।

30. इसके बाद जो हुआ वह इस न्यायालय के लिए संज्ञान लेना उचित नहीं हो सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि दोनों के बीच समझौता हुआ।

पक्षों को इसके तार्किक अंत तक नहीं ले जाया जा सका। बेहतर होता कि पक्षकार स्वयं अपने बेहतर भविष्य के लिए अपने मतभेदों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लेते, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे हैं, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया को गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है

न्यायिक पूर्ववर्तियों पर।

31. तत्काल मामले में, रिकॉर्ड पर तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि पार्टियां 2004-2005 के बाद से अमेरिका में रह रही थीं और उनकी शादी थी

14 मार्च, 2008 को हैदराबाद में आयोजित किया गया। दोनों बच्चों का जन्म 14 मार्च, 2012 और 13 अक्टूबर, 2014 को अमेरिका में हुआ था और वे अमेरिकी पासपोर्ट वाले अमेरिकी नागरिक हैं। विशेष रूप से, अपीलकर्ता (लहरी सखामुरी) ने अमेरिका में नाबालिग बच्चों के तलाक और अभिरक्षा के लिए आवेदन दायर किया

21 दिसंबर, 2016 को अदालत और 21 दिसंबर, 2016 को अमेरिकी अदालत द्वारा आदेश पारित किया गया। उस अंतरिम आदेश के बावजूद, अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) 23 मार्च, 2017 को भारत आई और भारत आने के 20 दिनों के भीतर, 12 अप्रैल, 2017 को परिवार न्यायालय, हैदराबाद में नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें अमेरिकी न्यायालय में अभिरक्षा के लिए दायर अपने आवेदन को छिपाया गया। उन्होंने यह भी खुलासा नहीं किया कि अमेरिकी अदालत द्वारा पक्षकारों के वकील को सुनने के बाद उनके खिलाफ 22 मई, 2017 को एक आदेश पारित किया गया था। दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, हमें उच्च न्यायालय की इस राय को बरकरार रखने में कोई कठिनाई नहीं मिलती है कि नाबालिग बच्चे सामान्य निवासी नहीं थे।

हैदराबाद (भारत) जैसा कि संरक्षकों की धारा 9 (1) के तहत परिकल्पित है और

वार्ड अधिनियम, 1890। नतीजतन, हैदराबाद के परिवार न्यायालय के समक्ष दायर नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय। उसी समय, जब अमेरिकी न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए हैं, तो पक्षकार अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) के कहने पर अमेरिकी न्यायालय के समक्ष दायर की गई कार्यवाही की अवहेलना नहीं कर सकते हैं।

उन कार्यवाहियों में भाग लेना।

19] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32. जसमीत कौर के मामले (उपरोक्त) के अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया था, वह इस कारण से कोई सहायक नहीं हो सकता है कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें एक बच्चे का जन्म भारत में हुआ था, जो इस न्यायालय पर यह अभिनिर्धारित करने का एक कारण था कि न्यायालयों के सौहार्द का सिद्धांत या मंच की सुविधा का सिद्धांत अधिकार क्षेत्र की सीमा को निर्धारित नहीं कर सकता है और जब सर्वोपरि विचार बच्चे का सर्वोत्तम हित है, तो यह विषय-विषय हो सकता है।

कार्यवाही में अंतिम निर्धारण और आदेश 7 नियम 11 के तहत नहीं

सीपीसी। हमारे सुविचारित विचार में, अपीलार्थी के कहने पर दायर नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के लिए आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। विवादित फैसले के तहत अदालत, इसके परिणामस्वरूप, नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही भारत में लंबित नहीं है।

33. विशेष रूप से नाजुक मुद्दों को उठाने के अलावा अदालतों द्वारा निर्णय लेने में नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा को कठिन माना गया है।

जब पति-पत्नी अनिवासी भारतीय (एन. आर. आई.) हों।

34. सुरिंदर कौर संधू के मामले (ऊपर) में यह अदालत थी

एक ऐसे बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित जो जन्म से ब्रिटिश नागरिक था जिसके माता-पिता अपनी शादी के बाद इंग्लैंड में बस गए थे। पति द्वारा एक बच्चे को घर से निकालकर भारत लाया गया। पत्नी ने यू. के. न्यायालय से एक न्यायिक आदेश प्राप्त किया जिसके तहत पति को बच्चे की अभिरक्षा उसे सौंपने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश की बाद में इंग्लैंड की अदालत द्वारा पुष्टि की गई और उसके बाद पत्नी भारत आई और पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर बच्चे की अभिरक्षा और पेश करने की प्रार्थना की, जिसे खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ पत्नी ने इस अदालत में अपील की। इस न्यायालय ने 'बाल कल्याण', 'न्यायालयों की समिति' और 'राज्य की अधिकारिता, जिसका मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों के साथ सबसे घनिष्ठ संपर्क है' को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 10. हम यह भी जोड़ सकते हैं कि पति-पत्नी ने इंग्लैंड में अपना वैवाहिक घर स्थापित किया था, जहाँ पत्नी क्लर्क के रूप में और पति बस चालक के रूप में काम कर रहे थे। लड़का एक ब्रिटिश नागरिक है, जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ है, और उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। यह नहीं हो सकता।

इसके विपरीत, इन परिस्थितियों में, अंग्रेजी न्यायालय के पास उनकी अभिरक्षा के सवाल का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र था। कानूनों के टकराव का आधुनिक सिद्धांत मान्यता देता है और, किसी भी स्थिति में, उस राज्य के अधिकार क्षेत्र को पसंद करता है जिसका सबसे घनिष्ठ संपर्क लाहरी सखामुरी v है।

सोभन कोडाली [रस्तोगी, जे.]

मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों के साथ। क्षेत्राधिकार आकस्मिक परिस्थितियों के संचालन या निर्माण से आकर्षित नहीं होता है जैसे कि ऐसी परिस्थिति जहां बच्चे को, जिसकी अभिरक्षा जारी है, लाया जाता है या कुछ समय के लिए रखा जाता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी अन्य राज्य द्वारा अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने की अनुमति देने से केवल मंच-खरीदारी को बढ़ावा मिलेगा। आम तौर पर, कार्यात्मक रेखाओं पर अधिकार क्षेत्र का पालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, इसका अर्थ यह है कि विवाह और अभिरक्षा से संबंधित मामलों में, उस स्थान के कानून को शासन करना चाहिए जो पति/पत्नी की भलाई और विवाह की संतानों के कल्याण के साथ सबसे अधिक संबंधित है। इस मामले में पति-पत्नी ने इंग्लैंड को अपना घर बना लिया था, जहां उनके घर यह लड़का पैदा हुआ था। पिता अंग्रेजी न्यायालय को अपनी अभिरक्षा पर निर्णय लेने के अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं कर सकता है, उसे भारत में हटा कर, वैवाहिक घर की सामान्य आवाजाही में नहीं, बल्कि एक ऐसे कार्य द्वारा जो उस घर की शांति के लिए गंभीर रूप से हानिकारक था। तथ्य यह है कि पति-पत्नी का वैवाहिक घर इंग्लैंड में था,

उस राज्य के साथ पर्याप्त संपर्क या संबंध स्थापित करता है ताकि उस राज्य के न्यायालयों के लिए यह उचित और न्यायसंगत हो कि वे पति/पत्नी द्वारा किए गए दायित्वों को लागू करने के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण करें (अंतर्राष्ट्रीय जूता कंपनी v देखें। वाशिंगटन राज्य [90 एल एड 95 (1945): 326 यू. एस. 310] जो एक वैवाहिक मामला नहीं था, बल्कि जिसे इसका प्रमुख स्रोत माना जाता है।

तत्काल मामले में शामिल क्षेत्राधिकार के मुद्दों के बाद के विकास)। रक्षा करना हमारा कर्तव्य और कार्य है।

एक असुविधाजनक मंच में मुकदमेबाजी के बोझ के खिलाफ पत्नी जिसे उसने और उसके पति ने इंग्लैंड में अपना जीवन यापन करने के लिए स्वेच्छा से छोड़ दिया था, जहां उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण लड़के को जन्म दिया था।

35. एलिजाबेथ दिनशॉ के मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा कि सभी देशों में अदालतों का कर्तव्य है कि वे देखें कि माता-पिता गलत काम कर रहे हैं। बच्चों को देश से बाहर निकालने से उनके गलत काम से कोई लाभ नहीं होता है और यह उन कारकों से निर्देशित होता है जैसे कि बच्चे द्वारा अमेरिका में बिताया गया लंबा समय जिसमें बच्चा पैदा हुआ था और अमेरिकी नागरिक बन गया था और यह भी तथ्य कि बच्चा भारत में जड़ें नहीं जमा चुका है और अभी भी परिस्थितियों के आदी और अभ्यस्त नहीं था और

संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने मूल स्थान पर पर्यावरण प्राप्त करना। इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि बच्चे की उपस्थिति

भारत अपहरण के एक अवैध कार्य का परिणाम है और पिता जो [2019] 5 एस. सी. आर. हैं।

उक्त कृत्य का दोषी यह कहकर कोई लाभ का दावा नहीं कर सकता कि उसने पहले ही बच्चे को पुणे के किसी स्कूल में पढ़ा दिया है। 36. वी. रवि चंद्रन (डॉ.) के मामले (उपरोक्त) में, यह न्यायालय माता-पिता द्वारा एक बच्चे से हटाए गए बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित था

न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए जहां पक्षों ने अपना वैवाहिक घर स्थापित किया था। इस न्यायालय ने अंग्रेजी निर्णयों, अर्थात् एल (नाबालिग) 2 और मैककी बनाम मैककी 3 पर ध्यान दिया और एलिजाबेथ दिनशॉ के मामले (उपरोक्त) और धनवंती जोशी बनाम माधव उंडे 2 में इस न्यायालय के फैसले पर भी ध्यान दिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बच्चा लगभग बारह वर्षों से भारत में अपनी मां के साथ रह गया था, इस न्यायालय ने कहा कि वह बच्चे को अमेरिका वापस करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग इस आधार पर नहीं करेगा कि 1984 में उसे अमेरिका से निकालना अमेरिकी अदालतों के आदेशों के विपरीत था। प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" 29. जिस न्यायालय में पक्षकारों ने अपना वैवाहिक गृह स्थापित किया था, उसके आदेशों का उल्लंघन करते हुए माता-पिता द्वारा एक देश से दूसरे देश में हटाए गए बच्चे की अभिरक्षा के मामले पर विचार करते समय, जिस देश की अदालत में बच्चे को हटा दिया गया है, उसे पहले इस सवाल पर विचार करना चाहिए कि क्या अदालत अभिरक्षा के सवाल पर विस्तृत जांच कर सकती है या मामले पर विचार करके माता-पिता को उस देश में बच्चे की अभिरक्षा वापस करने का आदेश दे सकती है जहां से बच्चे को हटा दिया गया था और बच्चे के कल्याण से संबंधित सभी पहलुओं की जांच उसके अपने देश की अदालत में की जानी चाहिए। यदि अदालत को यह विचार लेना चाहिए कि एक विस्तृत जांच आवश्यक है, तो जाहिर है कि अदालत कल्याण पर विचार करने के लिए बाध्य है।

और बच्चे की खुशी को सर्वोपरि माना जाता है और बच्चे के कल्याण के सभी प्रासंगिक पहलुओं में जाता है जिसमें स्थिरता और सुरक्षा, प्यार और समझ देखभाल और मार्गदर्शन और बच्चे के चरित्र, व्यक्तित्व और प्रतिभा का पूर्ण विकास शामिल है। ऐसा करते समय, उसकी अभिरक्षा के बारे में एक विदेशी अदालत के आदेश को उचित महत्व दिया जा सकता है; एक विदेशी निर्णय का वजन और प्रेरक प्रभाव प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करना चाहिए।

30. हालांकि, ऐसे मामले में जहां अदालत बच्चे को उसके अपने देश वापस करने के लिए संक्षेप में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का फैसला करती है,

7 (1974) 1 सभी ईआर 913 (सीए) 8 (1951) एसी 352

9 1998 (1) एस. सी. सी. 112 लहरी सखामुरी बनाम। सोभन कोडाली [रस्तोगी, जे.]

जिसके साथ सबसे करीबी चिंता और सबसे अंतरंग संपर्क है मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे, अदालत पहलुओं को छोड़ सकती है

अदालत द्वारा जाँच किए जाने वाले बच्चे के कल्याण से संबंधित

अपने ही मूल देश में क्योंकि वह सबसे अच्छे हित में हो सकता है बच्चे को। मैकी वी में दिया गया संकेत। मैककी [1951 एसी 352]

: (1951) 1 सभी ई. आर. 942 (पी. सी.)] कि ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें यह है

एक अधिकार क्षेत्र में एक अदालत के लिए निर्देश देने का आदेश देना उचित है कि एक बच्चे को बिना जाँच के विदेशी अधिकार क्षेत्र में वापस कर दिया जाए

बच्चे की देखभाल से संबंधित विवाद के गुण-दोष

इस आधार पर कि ऐसा आदेश बच्चे के सर्वोत्तम हित में है एल (नाबालिग) में समझाया गया है, री [(1974) 1 डब्ल्यूएलआर 250: (1974)

1 सभी ई. आर. 913 (सी. ए.)] और उक्त दृष्टिकोण को इसके द्वारा अनुमोदित किया गया है।

धनवंती जोशी में अदालत [(1998) 1 एस. सी. सी. 112]। इसी तरह का दृश्य

एच. (शिशु) में अपील न्यायालय द्वारा लिया गया, पुनः [(1966) 1

डब्ल्यूएलआर 381 (सीएच एंड सीए): (1966) 1 सभी ईआर 886 (सीए)] एलिजाबेथ दिनशॉ [(1987) 1 एस. सी. सी. 42 में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित

: 1987 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 13] ”

37. इस न्यायालय ने एक बार फिर सबसे करीबी के सिद्धांतों को दोहराया

चिंता, मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों के साथ सबसे घनिष्ठ संपर्क, नाबालिग बच्चे का प्राकृतिक आवास, बच्चे का सर्वोत्तम हित और अदालतों की समिति। इस अदालत ने अंततः बच्चे को अमेरिका ले जाने का निर्देश दिया जहां से

उसे हटा दिया गया था ताकि पक्ष बच्चे के मूल राज्य, यानी यू. एस. में अपना अधिकार स्थापित कर सकें।

38. सूर्य वदनन के मामले (ऊपर) में, यह एक ऐसा मामला था जहाँ

पति-पत्नी भारतीय मूल के थे और बाद में पति नागरिक बन गया

ब्रिटेन से। उन्होंने भारत में शादी की और ब्रिटेन में उनकी दो बेटियां थीं। पत्नी भी ब्रिटिश नागरिक बन गई और उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। उनके बीच वैवाहिक विवाद उत्पन्न होने के बाद, पत्नी अपनी बेटियों के साथ भारत लौट आई और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (आई. ए.) के तहत पारिवारिक न्यायालय में तलाक की याचिका दायर की। साथ ही पति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

उक्त अदालत ने एक आदेश पारित किया था कि बच्चों को उनके अल्पमत के दौरान या अदालत के अगले आदेश तक अदालत का वार्ड बनाया जाए और पत्नी को बच्चों को विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र में वापस करने का निर्देश दिया गया था। इस न्यायालय ने (i) "पहली हड़ताल" के सिद्धांतों को लागू किया, अर्थात यू. के. न्यायालय ने

पास हो गया।

पक्षकारों के बच्चों को उस न्यायालय के संरक्षक के रूप में घोषित करने वाला प्रभावी और ठोस आदेश, (ii) न्यायालयों की समिति और (iii) सर्वोत्तम हित और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

19] 5 एस सी आर।

बच्चे का कल्याण। इसने यह भी माना कि "सबसे अंतरंग संपर्क" सिद्धांत और "निकटतम चिंता" सुरिंदर कौर संधू में निर्धारित की गई है। मामले (उपरोक्त) बहुत अधिक जीवित हैं और उन्हें केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनका आवेदन कुछ स्थितियों में असहज हो सकता है। न्यायालय ने यह भी दोहराया कि बच्चे का सर्वोत्तम हित और कल्याण सर्वोपरि है जिसे न्यायालयों द्वारा विवादों का निर्णय लेते समय हमेशा ध्यान में रखा जाएगा।

39. इसके बाद निथ्या आनंद राघवन के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने हम में से एक (न्यायमूर्ति) को नियुक्त किया। खानविलकर) एक पार्टी थी। उस मामले में, दंपति ने 30 नवंबर, 2006 को चेन्नई में शादी की और 2007 की शुरुआत में यूके चले गए। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो गया। पत्नी दिसंबर, 2008 में गर्भवती हुई थी और जून 2009 में नई दिल्ली आई और वहाँ अपने माता-पिता के साथ रही और उसने अगस्त, 2009 में दिल्ली में एक बच्ची को जन्म दिया। पति के भारत आने के बाद, दंपति मार्च, 2010 में वापस ब्रिटेन चले गए और कुछ अप्रिय घटनाओं के बाद, पत्नी और बेटी अगस्त 2010 में भारत लौट आए। कानूनी पत्राचार के आदान-प्रदान के बाद, पत्नी और

उनकी बेटी दिसंबर 2011 में वापस लंदन चली गई। जुलाई, 2014 में, पत्नी अपनी बेटी के साथ भारत लौटी और 2015 की शुरुआत में बच्चा बीमार हो गया और उसे हृदय रोग का पता चला और अपने पति के कथित हिंसक व्यवहार के कारण उसके खिलाफ जी. ए. डब्ल्यू. प्रकोष्ठ, नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई। 2016 में, पति ने बच्चे की वापसी के लिए यूके में हिरासत/वार्डशिप याचिका दायर की। उन्होंने 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। यह मामला पत्नी द्वारा इस अदालत के समक्ष लाया गया था। इस न्यायालय ने धनवंती जोशी के मामले (ऊपर) में अपने पहले के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसने बदले में मैकी के मामले (ऊपर) को संदर्भित किया, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने कहा कि विदेशी अदालत का आदेश बच्चे के कल्याण के लिए होगा और अदालतों की समिति इसके प्रवर्तन की नहीं, बल्कि इसके गंभीर विचार की मांग करती है। इस अदालत ने वी. रवि चंद्रन के फैसले पर भी भरोसा किया।

मामला (ऊपर) और अभिनिर्धारित किया कि नाबालिग की अभिरक्षा के मामलों की जांच करने में उच्च न्यायालय की भूमिका माता-पिता के अधिकार क्षेत्र के सिद्धांत की कसौटी पर है, क्योंकि नाबालिग न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए किसी दिए गए मामले में नाबालिग बच्चे के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करने के लिए, बच्चे की वापसी का निर्देश दे सकता है या सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बच्चे की अभिरक्षा को बदलने से इनकार कर सकता है। इस न्यायालय द्वारा आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्येक मामले को लाहरी सखामुरी बनाम होना चाहिए।

सोभन कोडाली [रस्तोगी, जे.]

यह बच्चे के कल्याण पर विचार करते हुए उसके सामने लाए गए तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर निर्भर करता है जो सर्वोपरि है।

बच्चे की अभिरक्षा, यदि ऐसी सलाह दी जाती है। इस अदालत ने अस्वीकार कर दिया है सूर्य वदनन के मामले (ऊपर) में पैराग्राफ 56 (ए) से (डी) जो इस प्रकार हैः

" 56. तथापि, यदि सक्षम अधिकारिता वाले विदेशी न्यायालय का कोई पूर्व-विद्यमान आदेश है और घरेलू न्यायालय संचालन करने का निर्णय लेता है

एक विस्तृत जांच (एक संक्षिप्त जांच के विपरीत), ऐसा करने के लिए विशेष कारण होने चाहिए। निश्चित रूप से एक विस्तृत जांच का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। यह तय करते समय कि क्या एक संक्षिप्त या एक विस्तृत जांच की जानी चाहिए, घरेलू अदालत को चाहिए

ध्यान रखेंः

(क) अंतरिम या अंतर्वर्ती आदेश की प्रकृति और प्रभाव

(ख) बच्चे को विदेशी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वापस भेजने या न भेजने के लिए विशेष कारणों का अस्तित्व। (ग) बच्चे के प्रत्यावर्तन से बच्चे को कोई नैतिक या शारीरिक या सामाजिक या सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान नहीं होता है, और न ही यह उस माता-पिता को कोई कानूनी नुकसान पहुंचाता है जिसके साथ बच्चा भारत में है। ऐसे उदाहरण हैं जहां विदेशी अदालत के आदेश के परिणामस्वरूप उसके माता-पिता की गिरफ्तारी हो सकती है

विदेश को लौटें। [आरती बंदी बनाम। बांदी

माता-पिता की शारीरिक सुरक्षा। (घ) माता-पिता जिस सतर्कता के साथ संबंधित विदेशी अदालत या संबंधित घरेलू अदालत का रुख करते हैं, वह भी प्रासंगिक है। यदि समय अंतराल असामान्य रूप से बड़ा है और उचित रूप से समझाने योग्य नहीं है

और बच्चे ने भारत में मजबूत जड़ें विकसित की हैं, घरेलू अदालत

एक विस्तृत जाँच करने की अच्छी तरह से सलाह दी जा सकती है। "

40. उपरोक्त अनुच्छेद 56 के खंड (ए) से (सी) के संबंध में, इस न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 56 में दिए गए स्पष्टीकरण से हटने की प्रवृत्ति करार दिया।

धनवंती जोशी का मामला (ऊपर) और वी. रवि चंद्रन का मामला (ऊपर) और खंड (डी) के संबंध में, यह न्यायालय उसी से असहमत था, और अंत में इसका निष्कर्ष इस प्रकार निकाला गयाः

" 69. हम एक बार फिर दोहराते हैं कि धनवंती जोशी [धनवंती जोशी बनाम। माधव उंडे, (1998) 1 एस. सी. सी. 112] एक अच्छा कानून है और इसे तीन न्यायाधीशों द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है।

इस न्यायालय की पीठ ने वी. रवि चंद्रन (2) [वी. रवि चंद्रन (2) बनाम. भारत संघ, (2010) 1 एस. सी. सी. 174: (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 44] हम अन्य बातों के साथ-साथ धनवंती जोशी में लिए गए विचार को स्वीकार करते हैं।

पैरा 33 में कहा गया है कि जहां तक गैर-कन्वेंशन देशों का संबंध है, कानून यह है कि जिस देश की अदालत में बच्चे को प्रश्न पर विचार करते समय हटा दिया जाता है, उसे इस मामले के कल्याण को ध्यान में रखना चाहिए।

बच्चा सर्वोपरि महत्व का है और विदेशी न्यायालय के आदेश को केवल एक कारक के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए। बच्चों को वापस करने के संक्षिप्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग मामलों में किया जाना चाहिए।

जहाँ बच्चे को उसकी पैतृक भूमि से हटा दिया गया था और

किसी अन्य देश में ले जाया जाता है, जहां उसकी मूल भाषा नहीं बोली जाती है, या बच्चा सामाजिक रीति-रिवाजों और संपर्कों से तलाक ले लेता है, जिसके वह आदी रहा है, या यदि उसकी मूल भूमि में उसकी शिक्षा बाधित होती है और बच्चे को विदेशी शिक्षा प्रणाली के अधीन किया जा रहा है, तो ये सभी ऐसे कार्य हैं जो कर सकते हैं।

बच्चे को मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करता है। पुनः संक्षिप्त अधिकारिता का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब जिस न्यायालय में बच्चे को हटा दिया गया है, उसे तुरंत और जल्दी स्थानांतरित किया जाता है। सर्वोपरि विचार किया जाना चाहिए बच्चे का हित और कल्याण हो।

41. निथ्या आनंद राघवन के मामले (उपरोक्त) में फैसले का सार यह है कि अदालतों की समिति, अंतरंग संबंध, नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा, माता-पिता और बच्चे की नागरिकता आदि के संबंध में मामले में अधिकार क्षेत्र रखने वाली विदेशी अदालतों द्वारा पारित आदेशों के सिद्धांत बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण के विचार और बच्चे को विदेशी अधिकार क्षेत्र में वापस करने के निर्देश पर हावी नहीं हो सकते हैं।

बच्चे को कोई शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक या अन्य नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए।

10 2018 (9) एस. सी. सी. 578 लाहरी सखामुरी बनाम।

सोभन कोडाली [रस्तोगी, जे.]

42. कनिका गोयल बनाम दिल्ली राज्य में स्टेशन हाउस अधिकारी के माध्यम से और दूसरा जिसमें हम में से एक (न्यायमूर्ति खानविलकर) एक हैं।

सदस्य, दंपति की शादी नई दिल्ली में संपन्न हुई और तदनुसार 2014 में अमेरिका में लड़की का जन्म हुआ। माँ बच्चे के साथ दिसंबर, 2016 में जनवरी 2017 में शिकागो के लिए अपने वापसी टिकट के साथ भारत आई थी। दिल्ली में भारत आने के बाद उन्होंने तलाक की याचिका दायर की और पति ने अमेरिकी अदालत में आपातकालीन हिरासत याचिका दायर की। पत्नी ने 11 जनवरी, 2017 को दिल्ली के परिवार न्यायालय से एक एकतरफा आदेश प्राप्त किया, जिसमें पति को बच्चे को भारत से हटाने से रोक दिया गया था। पति ने 13 जनवरी, 2017 को विदेशी न्यायालय से अंतरिम एकल अभिरक्षा के लिए एकतरफा आदेश प्राप्त किया। उसी समय, पति ने दिल्ली उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसने मां को यूके अदालत के आदेश का पालन करने का आदेश दिया। इस न्यायालय ने तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए कहा कि नाबालिग लड़की की अभिरक्षा अपीलार्थी माँ के साथ तब तक रहेगी जब तक कि वह आयु प्राप्त नहीं कर लेती।

नाबालिग की अभिरक्षा के मुद्दे पर सुनवाई करने वाला बहुमत या सक्षम अधिकार क्षेत्र का न्यायालय।

43. "बच्चे का सर्वोत्तम हित" अभिव्यक्ति, जिसे हमेशा सर्वोपरि माना जाता है, वास्तव में इसके अर्थ में व्यापक है और यह प्राथमिक देखभाल करने वाले का प्यार और देखभाल नहीं रह सकता है, यानी शिशु या बच्चे के मामले में माँ जो केवल कुछ साल का है। द. किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (9) में "बच्चे के सर्वोत्तम हित" की परिभाषा की परिकल्पना की गई है, जिसका अर्थ है "बच्चे के संबंध में लिए गए किसी भी निर्णय का आधार, उसके बुनियादी अधिकारों और जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करना, सामाजिक कल्याण और शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास की पहचान करना"।

44. अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या तथ्य और

नाबालिग बच्चों, अर्थात् अर्थिन और नेयसा की अभिरक्षा का प्रश्न (क्योंकि भारत में पक्षों के बीच कोई कानूनी कार्यवाही लंबित नहीं है) या क्या उन्हें सौंपने के लिए एक विस्तृत जांच प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) को दो नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा जब तक कि उन्हें अमेरिकी अदालत के समक्ष पेश नहीं किया जाता।

45. निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) और प्रतिवादी (सोभन कोडाली) दोनों 2004-2005 के बाद से अमेरिका में रह रहे थे और ठीक हैं। अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) ने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की और प्रतिवादी (सोभन कोडाली) पेशे से एक हृदय रोग विशेषज्ञ है। 14 मार्च, 2008 को उनकी शादी हुई और दो प्यारे बच्चे [2019] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अर्थिन और नेयसा का जन्म 14 मार्च, 2012 और 13 अक्टूबर, 2014 को अमेरिका में इस विवाह से हुआ था। दोनों स्कूल जाने लगे हैं। उन्होंने अपने संयुक्त नाम पर एक घर खरीदा और जनवरी, 2016 में नए घर में चले गए। उनके बीच कुछ गलत हुआ होगा जिसने अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) को 21 दिसंबर, 2016 को लेहाई काउंटी, पेंसिल्वेनिया सिविल डिवीजन के सामान्य याचिकाओं के न्यायालय में नाबालिग बच्चों के तलाक और हिरासत याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया।

प्रत्यर्थी (सोभन कोडाली) द्वारा उसके या नाबालिग बच्चों के अधीन। प्रत्यर्थी (सोभन कोडाली) ने अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) और नाबालिग बच्चों के साथ-साथ उसकी सास के भी टिकट खरीदे थे, जो 24 अप्रैल, 2017 की वापसी टिकट के साथ अपने वैवाहिक घर, अमेरिका में एक साथ रह रही थीं, लेकिन 23 मार्च, 2017 को भारत आने के बाद, अपनी नानी की कथित मृत्यु के कारण, अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) ने वापस लौटने से इनकार कर दिया और उसे 12 अप्रैल, 2017 को परिवार न्यायालय, हैदराबाद के समक्ष संरक्षकता याचिका दायर करने की सलाह दी गई और परिवार न्यायालय से भौतिक तथ्यों को छिपाते हुए एकतरफा आदेश लिया कि ऐसी याचिका अमेरिका में उसके कहने पर दायर की गई है और उस पर एक आदेश पारित किया गया था। दिसंबर, 2016 में दोनों पक्षों को बच्चों का निवास स्थान नहीं बदलने पर रोक लगाने से अन्य पक्षों की अभिरक्षा अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता प्रभावित होगी।

47. यह विवाद में नहीं है कि दोनों नाबालिग बच्चे, अपने जन्म की शुरुआत से ही, 23 मार्च, 2017 को अमेरिका से हटाए जाने तक

वे अपने माता-पिता के साथ अमेरिका में रह रहे थे। इस तथ्य को स्वीकार किया गया था

अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) ने भी परिवार न्यायालय, हैदराबाद के समक्ष दायर संरक्षकता याचिका में और अमेरिका में उसके द्वारा दायर तलाक और अभिरक्षा याचिका में और पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद ही, अमेरिकी न्यायालय द्वारा 22 मई, 2017 को आपातकालीन लहरी सखामुरी बनाम पर आदेश पारित किया गया था।

सोभन कोडाली [रस्तोगी, जे.]

(सोभन कोडाली) लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने और प्रार्थना करने के लिए कि अमेरिकी अदालत के आदेश के अनुपालन में बच्चों को अमेरिका वापस भेजा जाए। 48. यह सच है कि इस न्यायालय को सर्वोपरि विचार के रूप में बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखना होगा। अमेरिका की टिप्पणियाँ

न्यायालय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आदेश पारित करने में अमेरिकी न्यायालय द्वारा बच्चों के कल्याण के सिद्धांत पर विचार किया गया है क्योंकि यह दोहराता है कि दोनों पक्ष बच्चों के उचित पालन-पोषण और बच्चों की अभिरक्षा और संरक्षकता के अंतिम निर्णय के लिए आवश्यक हैं। दो नाबालिग बच्चों को अमेरिका द्वारा लिया जाएगा, जिसके पास निर्णय लेने का विशेष अधिकार क्षेत्र है क्योंकि बच्चे अमेरिकी नागरिक थे और प्रतिवादी के आपातकाल पर आगे का आदेश पारित किया गया था।

9 मार्च, 2018 को हिरासत में विशेष रिहाई के साथ याचिका जिसमें प्रतिवादी (सोभन कोडाली) को नाबालिग बच्चों की ओर से अमेरिकी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है, बिना अपीलकर्ता (लहरी सखामुरी) की मां की सहमति के। अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) अमेरिकी न्यायालय के समक्ष अपने कहने पर शुरू की गई कार्यवाही की अवहेलना नहीं कर सकती है और उसे अपने कारण का समर्थन करने के लिए अपनी पसंद के वकीलों को शामिल करके उन कार्यवाही में भाग लेना चाहिए।

49. माता-पिता के लिए समान रूप से बच्चों के कल्याण का आकलन करने के लिए अदालतों द्वारा जिन महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए

(1) परिपक्वता और निर्णय; (2) मानसिक स्थिरता; (3) विद्यालयों तक पहुँच प्रदान करने की क्षमता; (4) नैतिक चरित्र; (5) समुदाय में निरंतर भागीदारी प्रदान करने की क्षमता; (6) वित्तीय पर्याप्तता और अंतिम लेकिन कम से कम बच्चे के साथ संबंध से जुड़े कारक, जो एक व्यक्ति के रूप में माता-पिता की विशेषताओं के विपरीत हैं।

50. युवा कोमल वर्ष के सिद्धांत के साथ काम करते हुए, एक प्रसिद्ध पोलिश-यहूदी शिक्षक और बच्चों के लेखक जानुस्ज़ कोर्कज़र ने कहा

" बच्चे बहुत लंबा इंतजार नहीं कर सकते और वे कल के लोग नहीं हैं, बल्कि (2019) 5 एस. सी. आर. हैं।

वे आज के लोग हैं। उन्हें गंभीरता से लेने और कोमलता और सम्मान के साथ व्यवहार करने का अधिकार है। उन्हें ऐसा बनने दिया जाना चाहिए कि वे जो भी हों-उनमें से प्रत्येक के अंदर अज्ञात व्यक्ति भविष्य के लिए हमारी आशा है। बाल अधिकार सीमित हो सकते हैं लेकिन उन्हें नजरअंदाज या समाप्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चे वास्तव में ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें सभी मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है और कई अन्य कारक जो निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके लिए माता-पिता की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए संदर्भ दिया गया है जिसे अदालतें आसानी से खारिज नहीं करती हैं।

51. अदालतों की समिति, अंतरंग संबंध, नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा, माता-पिता और बच्चे की नागरिकता आदि के संबंध में मामले में अधिकार क्षेत्र रखने वाली विदेशी अदालतों द्वारा पारित आदेश, सर्वोत्तम हित और बच्चे के कल्याण के विचार को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं और यह कि बच्चे को विदेशी अधिकार क्षेत्र में वापस करने के निर्देश से बच्चे को कोई शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक या अन्य नुकसान नहीं होना चाहिए। पूरे मामले पर समग्र रूप से विचार करते हुए, हम संतुष्ट हैं कि सभी मानदंड जैसे कि अदालतों की समिति, विदेशी आदेश

बच्चों की अभिरक्षा, पति या पत्नी और बच्चों की नागरिकता, अंतरंग संबंध, और सबसे बढ़कर, नाबालिग बच्चों के कल्याण और सर्वोत्तम हित के मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली अदालत प्रतिवादी (सोभन कोडाली) के पक्ष में है और जिसे उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में विस्तार से देखा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। 52. निष्कर्ष निकालने से पहले, हम यह देखना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना बहुत आवश्यक है। तलाक और हिरासत

और माता-पिता के बीच मनोवैज्ञानिक लड़ाई। अभिरक्षा के बारे में घटनापूर्ण समझौता अक्सर बच्चे के बजाय माता-पिता के हितों का प्रतिबिंब हो सकता है। बाल अभिरक्षा विवाद में मुद्दा यह है कि बच्चे का क्या होगा, लेकिन आम तौर पर बच्चा इस प्रक्रिया में सच्चा भागीदार नहीं होता है। जबकि सर्वोत्तम हितों के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि प्राथमिक ध्यान बच्चे के हितों पर हो, बच्चा आम तौर पर उन हितों को स्वयं परिभाषित नहीं करता है या क्या सामान्य अर्थों में उसका प्रतिनिधित्व है।

53. वैवाहिक व्यवधान के माध्यम से बच्चे का मनोवैज्ञानिक संतुलन गहराई से प्रभावित होता है और परिवर्तनों के लिए समायोजन माता-पिता द्वारा अपने बच्चों के साथ सकारात्मक संबंधों को जारी रखने के तरीके से प्रभावित होता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए माता-पिता के संघर्ष के मामले में बाल अधिकार लाहरी सखामुरी बनाम की दिशा में एक सक्रिय कदम है।

बाल अधिकारों की एक विशिष्ट अभिव्यक्ति की मांग करने वाली इस विशेष स्थिति को देखना।

54. अभिरक्षा विवाद का न्यायिक समाधान स्थायी रूप से हो सकता है।

पक्षकारों के कानूनी संबंधों को प्रभावित करता है या समाप्त भी करता है लेकिन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संबंध आमतौर पर जारी रहेंगे और यह उचित लगता है कि माता-पिता के बीच बातचीत का समाधान कई कारणों से बच्चे के दृष्टिकोण से बेहतर है। अपने माता-पिता में से प्रत्येक के साथ एक बच्चे के भविष्य के रिश्ते को बेहतर तरीके से बनाए रखा जा सकता है और उसके मौजूदा रिश्ते को अदालत द्वारा प्रतिकूल कार्यवाही के बाद लगाए गए समझौते की तुलना में बातचीत से कम नुकसान होता है। 55. वर्तमान मामले में, इस बात की पूरी संभावना है कि पक्ष सुलह कर सकते हैं और अपने संबंधों को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, कम से कम

अपनी खुद की खुशी के लिए-वसंत अगर बिना किसी अन्य कारण के। पक्षकार वास्तव में परिपक्व और यह समझने के लिए पर्याप्त समझदार हैं कि वैवाहिक जीवन के सामान्य पतन को उनकी अपनी खुशी और उनकी संतानों के स्वस्थ, सामान्य विकास और विकास के व्यापक हित में रखा जाना चाहिए, जिन्हें नियति ने उनके संयुक्त माता-पिता की देखभाल के लिए सौंपा है। पति-पत्नी को स्वभाव से ऊपर आना चाहिए

वैमनस्य जो आम तौर पर हर शादी में मौजूद होता है, न कि इसे आवेगपूर्ण इच्छाओं और जुनून के साथ बढ़ाता है। माता-पिता न केवल देखभाल करने वाले होते हैं, बल्कि वे अपने बच्चे के सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक कल्याण के विकास में सहायक होते हैं और अपने बच्चों को एक खुशहाल घर देने के लिए सामंजस्यपूर्ण रूप से काम करते हैं, जिसके वे न्यायसंगत हकदार हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि पक्ष अपने मतभेदों को भूलेंगे और माफ कर देंगे और अनुकूल वातावरण प्रदान करने में एक साथ हाथ मिलाएंगे जो उनके लिए नहीं बल्कि उनके नाबालिग बच्चों के विकास के लिए भी अच्छा हो सकता है।

56. हमारे विचार में, बच्चों के सर्वोपरि महत्व के होने के सर्वोत्तम हित की पूर्ति की जाएगी यदि वे अमेरिका लौटते हैं और अपने प्राकृतिक जीवन का आनंद लेते हैं। दादा-दादी सहित अपने माता-पिता के प्यार, देखभाल और ध्यान के साथ वातावरण बनाना और अपने स्कूल को फिर से शुरू करना और अपने शिक्षकों के साथ रहना और

साथियों।

57. हम तदनुसार अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) को आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर दोनों बच्चों, अर्थिन और नेयसा के साथ अमेरिका लौटने का निर्देश देते हैं। हम आगे उत्तरदाता (सोभन कोडाली) को ठहरने और यात्रा की सभी व्यवस्था करने का निर्देश देते हैं।

अपीलार्थी (लहरी सखामुरी) और [2019] 5 एस. सी. आर. के खर्च (हवाई टिकट सहित)।

प्रत्यर्थी (सोभन कोडाली) अपनी अमेरिका यात्रा के संबंध में, यदि वांछित है, तो भविष्य में और प्रत्यर्थी (सोभन कोडाली) उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाएगा जिसका परिणाम किसी भी तरह से प्रतिकूल हो सकता है। परिणाम।

58. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि हमारे द्वारा की गई टिप्पणियां केवल सारांश में शामिल होने के सीमित उद्देश्य के लिए हैं।

हैबियस कॉर्पस की याचिका में विचार के लिए जांच और अमेरिकी न्यायालय में लंबित हिरासत कार्यवाही में किसी भी पक्ष के लिए कोई सहायता नहीं होगी जो वास्तव में अपने गुण-दोष पर तय की जाएगी। 59. बिदाई के दौरान, हम वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुरुकृष्ण कुमार द्वारा मनाने के लिए किए गए ईमानदार प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

पक्षों को एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए।

60. नतीजतन, एस. एल. पी. (सिविल) संख्या से उत्पन्न होने वाली दीवानी अपीलें। 15892-15893 2018 को खारिज कर दिया गया है। कोई लागत नहीं।

61. एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उत्पन्न आपराधिक अपील 2018 का सं. 2316 उपरोक्त शर्तों में निपटाया गया है।

62. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी